परिवार को सुव्यवस्थित कैसे बनाएँ ?

पं. श्रीराम शर्मा आचार्य

परिवार को सुव्यवस्थित कैसे बनाएँ ?

लेखक :

पं० श्रीराम शर्मा आचार्य

प्रकाशक :

युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट

गायत्री तपोभूमि, मथुरा

फोन : (०५६५) २५३०१२८, २५३०३९९

मो. ०९९२७०८६२८७, ०९९२७०८६२८९

फैक्स नं०- २५३०२००

पुनरावृत्ति सन् २०११ मूल्य : ७.०० रुपये

प्रकाशक :
युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट
गायत्री तपोभूमि, मथुरा-२८१००३

■

लेखक :
पं० श्रीराम शर्मा आचार्य

■

मुद्रक :
युग निर्माण योजना प्रेस
गायत्री तपोभूमि, मथुरा (उ. प्र.

परिवार अर्थात् सहकारी परिकर

व्यक्ति और समाज की मध्यवर्ती कड़ी है—परिवार। व्यक्ति को अपनी सूझ-बूझ, व्यवस्था, क्षमता, सुसंस्कारिता आदि गुण-कर्म-स्वभाव से संबंधित विशेषताएँ बढ़ानी पड़ती हैं। इनका अभ्यास न होने पर कोई किसी क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकता। जीवनयापन की सुनियोजित विधि-व्यवस्था ही समग्र साधना है, इसे एकाकी नहीं किया जा सकता। प्रयोग-परीक्षण और अभ्यास के लिए कोई सुविधा संपन्न सुनियोजित तंत्र चाहिए। ऐसी प्रयोगशाला निकटतम क्षेत्र में नितांत सरलतापूर्वक उपलब्ध हो सकने वाली परिवार व्यवस्था ही है।

समाज के साथ समुचित तालमेल बिठाने के लिए किसी न किसी प्रकार का अनुभव-अभ्यास करना ही होता है। दूसरों को अनुकूल बनाने, उनकी स्थिति समुन्नत करने तथा सुधार प्रयोजन के लिए संघर्ष करने जैसे कितने ही कार्य करने पड़ते हैं। कितने ही अनुभव एकत्रित करने और प्रयोग-अभ्यासों में प्रवीणता प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए क्या विद्यालय में प्रवेश पाया जाए ? कितने दिन में इस प्रकार का पाठ्यक्रम पूरा किया जाए ? इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि यह समस्त सुविधाएँ और परिस्थितियाँ परिवार परिकर में सहज उपलब्ध हैं, यदि मनोयोग पूर्वक प्रयोग परिणामों का विश्लेषण-विवेचन करते हुए उसी क्षेत्र में सही रीति-नीति अपनाई जा सके। कृत्यों के परिणामों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते रहा जाए तो उस शिक्षा की समग्र आवश्यकता पूरी हो सकती है, जो सामाजिक सुसंतुलन उपलब्ध करने और अभीष्ट सहयोग प्राप्त होते रहने के लिए नितांत आवश्यक है।

इस प्रकार व्यक्तित्व परिष्कार और लोकमंगल के दोनों परमार्थ परिवार क्षेत्र में सुयोग्य माली की भूमिका निबाहते हुए सहज ही

संपन्न किये जाते रहते हैं। जीवित रहने की सुविधा और शांति, प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए भी परिवार व्यवस्था का अंग बनकर रहने में सभी प्रयोजनों की पूर्ति हो सकती है। शर्त एक ही है कि यह सब शालीनता के ढाँचे में रहकर संपन्न किया जाए।

परिवार एक छोटा राष्ट्र है, उसकी सुरक्षा, सुविधा, सुव्यवस्था एवं सर्वतोमुखी प्रगति के लिए वैसे ही कौशल की आवश्यकता पड़ती है जैसे कि किसी शासनाध्यक्ष को अपने देश को सुखी-सुरक्षित रखने के लिए करनी पड़ती है। राष्ट्रों का महत्त्वपूर्ण विभाग अर्थ है, आर्थिक सुसंतुलन बिठाये बिना अन्य सभी विभाग लड़खड़ा जाते हैं। परिवार की अर्थ-नीति भी ऐसी बनानी पड़ती है, जिसमें घाटे का बजट न बनाना पड़े। ऋणों पर निर्भर न रहना पड़े, अभावों से ग्रस्त रहकर कष्टसाध्य निर्वाह के दलदल में न फँसना पड़े। शासन में गृह विभाग का अपना महत्त्व है, वह व्यवस्था सँभालता है, शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाता है। परिवार की भी यह धारा अपने छोटे क्षेत्र में उतनी ही महत्त्वपूर्ण है, यदि इसे सँभालने में अनगढ़ता का परिचय दिया जाए तो पारिवारिक ढाँचा बुरी तरह लड़खड़ा जाता है। सफाई, खाद्य, आवास-प्रवास और विकास शासन के अंग होते हैं। परिवार में भी इन सभी के लिए समुचित स्थान है, उन्हें सही और सुंदर ढंग से सँभालना पड़ता है। जो कुलपति इस संदर्भ में प्रमाद बरतते हैं, उनके लिए परिवार एक सुविधा और प्रसन्नता का आधार न रहकर नरक बन जाता है, परस्पर टकराता है और संचालक को काटने के लिए दौड़ता है।

व्यवस्थापक का दर्जा व्यवसाय से लेकर अन्यान्य क्रिया-कलापों में अत्यंत महत्त्वपूर्ण माना जाता है। गवर्नर की, सुपरेण्टेंडेण्ट की, मैनेजर की सूझबूझ पर ही किसी तंत्र की सुव्यवस्था रहती है और प्रगति होती है। परिवार के संबंध में भी ठीक यही बात है, व्यवस्था-बुद्धि संचालन में तो होनी ही चाहिए, साथ ही उसे वह विद्या जानने और अपने परिकर में बुद्धिमत्तापूर्वक उसका प्रयोग करने के लिए सहभागी बनना चाहिए। परिजनों की इच्छा, आवश्यकता, सलाह की निरंतर उपेक्षा करने से वे लोग घुटन और खीज तो अनुभव करते ही हैं, साथ ही अयोग्य-असमर्थ बनकर भी रह जाते हैं।

परिवार एक सहकारी समिति की तरह चलना चाहिए। साझे की दुकान जैसा उसका संचालन होना चाहिए। कृषकों-बुनकरों आदि का सारा परिवार मिल-जुलकर अपनी-अपनी योग्यता, क्षमता के अनुरूप काम करने में जुटा रहता है। सभी उस परिकर के साथ आत्मभाव जोड़े रहते हैं, हानि-लाभ को निजी समझते हैं। प्रतिष्ठा में सभी सहभागी रहते, तभी उस तंत्र का सुसंचालन बन पड़ता है। थोड़े साधनों में भी सहकारी भागीदारी के आधार पर संतोष और प्रसन्नता की स्थिति बनी रहती है। यह सब अनायास ही नहीं हो जाता, इसका वातावरण बनाना और ढर्रा चलाना पड़ता है। समझदारों की इसमें विशेष भूमिका रहती है, बालबुद्धि-नासमझों को भी वह किसी प्रकार बहलाते, पुचकारते, धमकाते हुए साथ लेकर चलते हैं। यही अभ्यास निज के साथ जुड़े हुए अंग-अवयवों, विचारों, विशेषताओं, विभूतियों के संबंध में भी है। यदि उनका अभिवर्धन, परिष्कार, सुनियोजन एवं सदुपयोग न किया जा सके तो समझना चाहिए कि दुरुपयोग बन पड़ने पर उपलब्धियाँ भी विपत्तियाँ बनकर अनर्थ का सरंजाम खड़ा करेंगी।

दार्शनिक, सैद्धांतिक, ऐतिहासिक, सामान्य ज्ञान कला-कौशल संबंधी जानकारियाँ स्कूलों में, पुस्तकालयों में प्राप्त हो सकती हैं। विचार-विनिमय द्वारा भी बहुत कुछ सीखा जाना जाता है, पर सामयिक समस्याओं का व्यवहारिक हल क्या हो सकता है ? इसकी जानकारी परिवार में सम्मिलित व्यक्तियों के चित्र-विचित्र स्वभावों के साथ तालमेल बिठा सकना परिवार व्यवहार का स्वतंत्र दर्शन समझने से, अभ्यास में उतारने से ही बन पड़ता है। व्यक्तित्व की समग्रता एकाकी जीवन में, एकांत में रहकर उपार्जित कर सकना संभव नहीं। इस तरह का एकाकीपन अपनाने वाले प्रायः कल्पना की उड़ानों में उड़ते रहते हैं। संतुलन तो कठिनाइयों से निपटने और सुव्यवस्था के आधार खड़े करने के कौशल से ही बन पड़ता है। इस हेतु ऐसे लोगों का सहचरत्व आवश्यक है जो देर तक साथ रह सकें, उनकी क्रिया-प्रक्रिया में आने वाले उतार-चढ़ावों से किसी सही निष्कर्ष पर पहुँच सकना संभव हो सकता है। इसके लिए परिवार के साथ जुडकर रहना एक प्रकार से आवश्यक ही समझा जाना चाहिए।

अपने चिंतन, चरित्र, व्यक्तित्व, कर्तृत्व का दूसरे पर क्या, कितना, कब तक, कैसा प्रभाव पड़ा ? इसकी प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया जानने के लिए ऐसे समुदाय के साथ रहना आवश्यक है, जो प्रयोग और परिणामों का लेखा-जोखा अनवरत रूप से प्रस्तुत करता रहे। इस स्तर का अनुभव उन लोगों के माध्यम से संचित नहीं किया जा सकता जो कारणवश थोड़े समय के लिए मिलते और वापिस चले जाते हैं। अस्थायी संपर्क में आने वाले लोग प्रायः अपना प्रयोजन सिद्ध करने की ही फिकर में रहते हैं, वे मतलब साधने के लिए चापलूसी भी कर सकते हैं, प्रशंसा की झड़ी भी लगा सकते हैं, साथ ही वह भी संभव है कि वे अंतर का प्रभाव अधिक अनुभव करते हों और लड़-झगड़कर डरा देने वाले कदम उठाएँ । यह सब उनकी सामयिक नीति का अंग हो सकता है, उसमें स्थायित्व वाली यथार्थता कम रहती है, साथ रहने और उतार-चढ़ावों को देखने से मनुष्यों की प्रवृत्ति का बोध होता है और तद्नुरूप अपने ढर्रे-ढाँचे में उत्कृष्टतावादी परिवर्तन करना पड़ता है।

मनुष्य की शारीरिक और मानसिक संरचना ही ऐसी है जिसके कारण उसे समूह में ही रहना और सामुदायिक क्रिया-कलापों के आधार पर अपनी आवश्यकताएँ पूरी करनी और दूसरों को सहयोग भरी सुविधाएँ देनी पड़ती हैं। कोई सही रीति से जीना चाहे तो उसे समाज का एक घटक बनकर ही रहना होगा। इसकी छोटी और चिरस्थायी सुविधा व्यवस्था परिवार परिकर में ही सरलता और सुविधापूर्वक मिलती है।

भोजन, वस्त्र, निवास जैसी अनिवार्य आवश्यकताएँ अन्य प्राणी तो किसी प्रकार जुटा लेते हैं, पर मनुष्य के लिए इतना भी संभव नहीं। शिक्षा, चिकित्सा, आजीविका, यातायात आदि के लिए भी उसे असंख्यों के सहयोग से ही व्यवस्था जुटानी पड़ती है। यह संबद्ध परिकर भी एक प्रकार से परिवार ही है। कृमि-कीटक भले ही अपने बलबूते काम चला लें, पर मनुष्य तो वर्तमान विकसित स्थिति में अपने ऊपर निर्भर नहीं रह सकता, इसे एकाकी नहीं अनेकों की सहायता आये दिन पड़ती है।

विश्व ब्रह्मांड भी एक परिवार है। ग्रह-नक्षत्र और नीहारिकाएँ परस्पर एक-दूसरे के साथ सुदृढ़ बंधनों में बँधे हुए हैं तभी अंतरिक्ष में विचरण करने वाले घटक किसी प्रकार अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। अपनी पृथ्वी भी सौर-परिवार की एक छोटी-सी सदस्य है।

पदार्थ जगत की संरचना अणु-परमाणुओं के समुच्चय से हुई है, उनकी ऊर्जा और गति ही प्रकृति की सभी हलचलों के लिए उत्तरदायी है। संसार में जो कुछ है और हो रहा है, वह मूलतः ऊर्जा तरंगों और परमाणु-परिकर का ही क्रिया-कलाप है। इस दृश्य जगत को इन्हीं नन्हें घटकों का मिलन एवं आदान-प्रदान समझा जाना चाहिए। प्रकृति क्षेत्र की हलचलें किसी विशाल परिवार में चलती रहने वाली बहुमुखी गतिविधियों के समतुल्य ही समझी जानी चाहिए।

शरीर यों दीखने में एक सामान्य इकाई दीखता है, पर उसका बारीकी से पर्यवेक्षण पर प्रतीत होता है कि उसकी संरचना अनेक अंग-अवयवों से मिलकर हुई है। बड़े अवयव तो प्रत्यक्ष भी देखे जाने जा सकते हैं, पर उन्हें विनिर्मित करने वाले जीवाणु तो अदृश्य स्तर के ही होते हैं। इन सबका सम्मिलित परिवार ही कायकलेवर है, इसे भी एक विशाल परिवार ही कहना चाहिए।

यहाँ एकाकी कहीं कोई नहीं है, सभी का अस्तित्व और क्रियाकलाप, सामूहिक शक्ति और क्रिया के आधार पर ही चल रहा है। फिर कोई व्यक्ति चाहे कि वह सर्वथा एकाकी रहकर गुजर कर सकता है तो यह मात्र भ्रांति ही होगी। एकांत कुटी बनाकर रहने वालों को भी अपनी छोटी व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी ऐसे अनेकों साधनों—उपकरणों की जरूरत पड़ती रहती है जो अनेकों के सहयोग से विनिर्मित हुए होते हैं। आदिमकालीन कबीलों के ढंग का निर्वाह वन्य-प्रदेशों में करने वाले भी आहार खोजने और तन के लिए कुछ उपाय करते हैं और उसमें किन्हीं अन्य लोगों द्वारा विनिर्मित हुए उपकरणों का समावेश होता है। यह प्रत्यक्ष न सही परोक्ष स्तर पर सहायता करने वाला परिवार ही है। प्राणी का जन्म तक माता-पिता के सहयोग सम्मिश्रण ही संभव होता है, ऐसी दशा में सर्वथा एकाकी जीवन मनुष्य स्तर के विकसित प्राणी के लिए तो संभव नहीं है। पशु-पक्षी भी झुंड बनाकर रहने और साथ-साथ चलने-उड़ने में

ही अपनी भलाई अनुभव करते और वैसी ही आदत डालते हैं। यह सब परिवार प्रक्रिया का ही अपने-अपने ढंग से किया गया प्रयोग-उपचार है।

जो अनिवार्य है इससे इंकार करना व्यर्थ है। होना इतना भर चाहिए कि इस प्रचलन में अपना स्थान सुनिश्चित किया जाए और उसके अनुरूप गुण, कर्म, स्वभाव का ढाँचा ढाला जाए। असामाजिक रहने में न किसी की गति है और न खैर। आदान-प्रदान जीवनचर्या का प्रारंभिक आधार है, इसलिए मिल-जुलकर रहने, सहयोग देने और लेने की नीति अपनानी चाहिए, उससे बिदकने की किसी को भी आवश्यकता नहीं है। समझदारी के युग में मात्र राग-द्वेष जैसे मनोविकारों का परित्याग ही बैराग्य कहलाता था। वस्तुतः ऋषिकल्प मनस्वी भी उपासनापरक अध्यात्म तपश्चर्या के अतिरिक्त लोकमंगल की प्रवृत्तियों को भी उतना ही महत्त्व देते थे। इसके लिए प्रव्रज्या अपनाते और तीर्थयात्रा पर निकलते थे, आश्रमों में गुरुकुल तथा आरण्यक चलाते थे। गृहस्थ जैसी व्यवस्था बनाते थे और सत्साहित्य के सृजन से लेकर शोध-कार्यों और बहुमुखी प्रशिक्षणों में निरत रहते थे। सभी देवता अपने-अपने स्तर के परिवार बनाकर उच्चस्तरीय क्रिया-कलापों में निरत रहते थे। परिवार परिकर में रहने की आवश्यकता भी है और उपयोगिता भी । समझा जाना चाहिए कि परिवार का तात्पर्य है—सामूहिक सहकारी जीवन।

❑ ❑

सहजीवन, प्रगति और प्रसन्नता का आधार

परिवार का अर्थ है—परिकर, समूह, समुदाय। उसे इतनी संकीर्ण सीमा में आबद्ध नहीं करना चाहिए कि उस दायरे में स्त्री-बच्चे के अतिरिक्त और किसी का प्रवेश ही न हो सके। यों वंशगत कुटुंब को ही आमतौर से परिवार कहा जाता है, क्योंकि उस समूह के लोग एकसाथ मिल-जुलकर एक ही मकान में रहते हैं।

उनका आर्थिक स्रोत भी सम्मिलित ही होता है और सदस्यों को एक मान्य अनुशासन में रहना होता है। एक ही आचार संहिता अपनानी पड़ती है। इसमें इच्छानुसार बरतने की छूट एक सीमा तक ही रहती है, यदि यही सब वंश परिकर के अतिरिक्त अन्य लोग भी मिलकर अपना लें, तो वह भी एक परिवार बन जाएगा। यह अनिवार्य नहीं कि सम्मिलित कुटुंब को ही परिवार माना जाए उसके लिए विवाह करना या संतानोत्पादन में प्रवृत्त होना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं। यों प्रचलन आजकल ऐसा ही है, पर आवश्यक नहीं कि जो कुछ हो रहा है वह सब उचित, पर्याप्त या अनिवार्य ही हो।

अनेक व्यक्ति ऐसे हैं, जो स्वेच्छा या परिस्थितिवश विवाह या संतानोत्पादन की स्थिति में नहीं होते। यह स्वेच्छापूर्वक भी हो सकता है और विवशता में भी। इतने पर भी उन्हें रहना परिवार की छत्रछाया में ही चाहिए। समूह व्यवस्था के अंतर्गत ही निर्वाह की आवश्यकता से लेकर परिशोधन और प्रगति का अनुभव, अभ्यास बहुत कुछ इसी आधार पर बन पड़ता है। इस स्थिति में उगे बीजांकुर ही बड़े होने पर अधिक फलते-फूलते और ऐसे स्वभाव के रूप में विकसित होते हैं, जो उत्थान-पतन के लिए प्रधान रूप से जिम्मेदार होते हैं।

विचार साम्य के आधार पर क्रिया-कलाप की एकता को लेकर भी परिकर बनते हैं। छात्रों के छात्रावास-सेना की बैरकें इसी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। साधुओं के आश्रम, गुरुकुल, आरण्यक भी इसी आधार पर अपने को सुविकसित करते हैं। जिन्हें विदेशों में अपरिचितों के साथ रहना पड़ता है, वे भी सर्वथा एकाकी नहीं रहते। किसी होटल, सराय आदि का आश्रय लेते हैं। सर्वथा एकाकी रहने के प्रयोग कई एकांतवासी कहे जाने वाले साधु-संतों ने किया तो है, पर वह एक प्रकार से अपूर्ण है। शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी सर्वथा आत्म निर्भर रहने पर बन न पाई उन्हें भी अनिवार्य साधन सामग्री के लिए दूसरों के अनुदान की अपेक्षा पड़ी। मनक्षेत्र में उठते रहने वाले अनेकों उतार-चढ़ावों का जब स्वयं समाधान होने की स्थिति नहीं बन पड़ती, तब भी दूसरों के साथ विचार-विनिमय करके ही किसी उपयोगी निष्कर्ष तक पहुँचना पड़ता

है। यह कार्य यदि किसी साहित्य के आधार पर किया जाए तो भी वह प्रकारांतर से उनके लेखकों के साथ विचार क्षेत्र में जुड़ना ही हुआ। एकांतवासी भी कल्पनाएँ करने से निवृत्त नहीं हो सकते। कल्पनाएँ ऐसे वातावरण के संदर्भ में ही उठती हैं, जो अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल हों। यह क्षेत्र भी जनशून्य नहीं हो सकता। निस्तब्धता तो व्यवहार में ही नहीं, कल्पना के लिए कठिन एवं अरुचि तक लगती है। भेड़ियों की माँद में पला रामू बालक चौदह वर्ष की आयु तक मनोवैज्ञानिकों के संरक्षण में पला और जिया, पर उसे शैशव के आरंभ के दिनों में जिस रीति-नीति को अपनाना पड़ा वे ही उसका स्थायी स्वभाव बन पाईं। वह मनुष्यों की तरह बोलना न सीख सका और हाथ-पैरों के सहारे पशुओं की तरह चलने की आदत न छोड़ सका। किसी को जन्म से ही एकांत में रहना पड़े तो वह उन वन-मानुषों जैसा ही कुछ हो सकता है। एकांतवासी बनकर रहने वाले भी इस निवास से पूर्व समाज के सान्निध्य-संरक्षण में ही रहे होते हैं। उनकी चेतना, ज्ञान, संपदा, अर्चना, अनुभव अभ्यास, निष्कर्ष आदि उपलब्धियों में पूर्व अनुभवों का ही समावेश होता है। वे सभी समाज परिकर में ही रहकर संचित किए गए होते हैं। इस प्रकार विचार क्षेत्र में जो कुछ संचय है, वह सामाजिक अनुदान ही होता है। यह जहाँ से, जिन लोगों से बटोरा गया है उसे भूतपूर्व परिवार ही कह सकते हैं। भविष्य के लिए किसी ने मधुर कल्पनाएँ सँजो रखी हों तो वे भी किसी समुदाय के साथ ही जुड़ी हुई होंगी। भले ही वे देवताओं के स्वर्ग परिकर के साथ ही क्यों न जुड़ती हों। ब्रह्मलोक आदि की सरस कल्पनाएँ करते इसीलिए बन पड़ती हैं कि वहाँ किन्हीं उच्चस्तरीय प्राणियों का निवास या प्रभाव सुखद परिस्थितियों का सृजन कर रहा होगा। सर्वथा जनशून्य परलोक की कल्पना करने पर तो वहाँ भी भयंकर निस्तब्धता की अनुभूति होगी और जी घबराने लगेगा।

शरीर भी एक परिवार है। उसके अंग-अवयव सदस्यगण हैं। उन सबका भरण-पोषण करना पड़ता है। कहीं कोई गड़बड़ी उठ खड़ी हो तो उसका समाधान सोचना पड़ता है। कुटुंबियों में से प्रत्येक के संबंध में जिस प्रकार बहुमुखी व्यवस्था जुटानी पड़ती है, उसी प्रकार काय-कलेवर के सभी अंगों, अवयवों, विभागों को सही स्थिति में रखने के लिए पग-पग पर सतर्कता बरतनी पड़ती है।

मनःक्षेत्र में भी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का, सचेतन, अचेतन, सुपर चेतन का समुदाय है। ज्ञान-तंतुओं का चित्र-विचित्र क्षमताओं से भरा-पूरा एक विशालकाय परिकर है। इस प्रकार न तो शरीर किसी पत्थर की तरह एकाकी है और न मनःक्षेत्र भी संस्कारों से रहित है। एक एकाकी लगने वाले क्षेत्र अपने-अपने स्तर के दृश्य-अदृश्य सहयोगियों को, परिजनों को सँजोये हुए बैठे दिखाई पड़ेंगे। मरने के बाद भी जिस परलोक की कल्पना की जाती है। वह भी स्वर्ग-नरक का अपने ढंग का समूह परिकर है। प्रेत लोक में भी प्राणी एकाकी नहीं रहता, वहाँ भी उसकी विरादारी के अनेक सदस्य पहले से ही जमे या आते-जाते दीख पड़ते हैं। सर्वथा एकाकीपन की कल्पना कर सकना तो मनुष्य जैसे विकसित स्तर के प्राणी के लिए संभव नहीं। जीवाणु, विषाणु, मृदा जंतु जलजीव भले ही विचार शक्ति के अभाव में अपने को एकाकी स्थिति में मानते हैं, पर चेतना का हल्का-सा उभार आते ही अपने चारों ओर साथी-सहयोगियों से भरापूरा संसार दिखाई पड़ता है। पूर्णता की स्थिति में पहुँचने वाले दिव्यदर्शी, परमहंस भी विराट् ब्रह्म की प्रत्यक्ष झाँकी विशाल विश्व के रूप में ही करते हैं। उनका परिवार किसी घर की छोटी सीमा में आबद्ध न रहकर वसुधैव कुटुम्बकम् की मान्यता अपना लेता है, उसे समस्त विश्व ही अपने निजी परिवार की तरह दीख पड़ता है। स्वयं ईश्वर भी एकाकी नहीं रह सकता। उसने 'एकोऽहं बहुस्याम' की आकांक्षा की और अपने वैभव विस्तार का परिचय देने, उसके साथ क्रीड़ा-कल्लोल करने के लिए यह सुविस्तृत संसार रच डाला। उसकी सहयोगिनी माया भी प्रकृति बनकर असंख्य स्तर के घटकों के साथ जुड़कर अपने विशालकाय परिकर का परिचय देने लगी। जीव का जन्म तक माता-पिता के सहयोग समन्वय और भाव भरे समर्पण से ही संभव होता है। मरने के उपरांत निर्जीव काया को सड़न से बचाने के लिए अन्य लोग अंत्येष्टि का प्रबंध मिल-जुलकर करते हैं। यदि सभी मुँह मोड़ लें तो भी निर्जीव काया में से ही ऐसे कृमि उपज पड़ते हैं जो उस निरर्थक कचरे को खाकर समाप्त कर दें। इस कार्य में वन्य पशु-पक्षी भी यथासंभव सहयोग प्रदान करते हैं। इस सृष्टि में किसी

के लिए भी ऐसा स्थान नहीं है, जहाँ वह मात्र अकेला रह सके। ऐसा शून्य तो सोचते भी नहीं बन पड़ते।

यह सब इसीलिए कहा जा रहा है कि किसी के मन में संकीर्ण स्वार्थपरता का एकाकीपन जड़ न जमाने पाए। यह सर्वथा असंभव है साथ ही उस दिशा में सोचने-चलने से पग-पग पर असुविधाओं विसंगतियों और विडंबनाओं का ऐसा सामना करना पड़ता है, जिसमें असुविधाओं और विपत्तियों के अतिरिक्त और कुछ हाथ लगता ही नहीं। सामाजिकता की सुविधाओं और संभावनाओं का समुच्चय है। सबसे अलग रहकर नितांत स्वार्थी बनने के लिए भी समूह का परित्याग नहीं किया जा सकता। शोषण, अपहरण, आक्रमण के लिए भी तो अन्य लोग चाहिए ही। प्रशंसा एवं प्रतिष्ठा बढ़ानी हो तो भी जय-जयकार करने वाले कोई अन्य लोग ही चाहिए। जिन्हें रिझाना, दबाना या प्रभावित करना है; वे भी तो कोई और ही होंगे। इस प्रकार भले या बुरे प्रयोजनों के लिए किन्हीं अन्यों के साथ किसी न किसी प्रकार का संपर्क जुड़ना आवश्यक हो जाता है।

भ्रूण की स्थिति में जीव माता के उदर में रहता है और उसी के अनुदानों से ही पलता और बढ़ता है। जन्म लेने के उपरांत उसकी सामान्य-सी आवश्यकताओं को भी अभिभावक ही पूरा करते हैं। अपने आप तो वह दूध पीने के लिए भी उस केंद्र तक नहीं पहुँच सकता। करवट तक नहीं बदल सकता। मल-मूत्र की सफाई तक करना उसके लिए संभव नहीं होता। यदि यह व्यवस्था न बन पड़े तो समझना चाहिए कि उस नवजात का जीवित रह सकना भी संभव नहीं। अन्य प्राणियों के बच्चे किसी प्रकार भले ही जीवन धारण किये रह सकें। वस्तुस्थिति हर किसी को समझनी चाहिए और समाज के साथ संपर्क बनाने के प्रथम आधार परिवार परिकर को साथ लेकर जीवनयापन करने की बात सोचनी चाहिए।

व्यक्ति अपने हित की बात सोचता है यह बुरा नहीं, पर उस सोच को इतना संकीर्ण नहीं होना चाहिए कि अपना तात्कालिक स्वार्थ ही सब कुछ बनकर रह जाए। अनुशासन, अनुबंध का निर्वाह करने में उच्छृंखलता बरती जाए। अपने कर्त्तव्यों और दूसरों के

अधिकारों की उपेक्षा चल पड़े। ऐसी एक पक्षीय स्वार्थपरता परिणाम में अनर्थ बनकर ही सामने आती है। संतुलन नहीं निभ पाता है और वह स्थिरता एवं सफलता का आधारभूत कारण नहीं बनता है। समूह की उपेक्षा करके अपनाया गया स्वार्थ अपने और दूसरों के लिए संकट और अवरोध ही खड़े करता है।

पारिवारिकता मनुष्य के सहजीवन की एक सुनिश्चित विधा और अनिवार्य आवश्यकता है। जिसकी उपेक्षा करके सुख, शांति और प्रगति का लाभ उठा सकना तो दूर सामान्य निर्वाह भी असंभव है। संयुक्त परिवार की आवश्यकता मानवी विकास के आरंभ काल से ही समझी जाती रही है। वनमानुष जैसी आदिमकाल की अनगढ़ स्थिति से ऊँचे उठते-उठते आज सृष्टि का मुकुट-मणि बन सकना उसके लिए इसी आधार पर संभव हुआ है। बौद्धिक और भौतिक उपलब्धियाँ पारस्परिक आदान-प्रदान के आधार पर ही बनती, बढ़ती और एक-दूसरे को हस्तांतरित होती चली आई है। प्रगतियों का, उपलब्धियों का कोई भी पक्ष क्यों न हो, विकास का सरंजाम इसी आधार पर जुट सकता है। अलगाव की व्यक्तिवादी स्वार्थपरता किसी प्रकार का छद्म अथवा अनाचार अपनाकर कुछ देर के लिए लाभ लेने का गर्व कर सकती है। कलई खुलने पर तो वे सर्वथा एकाकी ही रह जाते हैं। लाभ तक साझेदार रहने वाले तथाकथित मित्रों का भी पता नहीं चलता।

अपने मतलब से मतलब रखने वाले समझते भर इतना हैं कि हम चतुरता कर रहे हैं। स्वयं किसी के काम नहीं आते, पर अपना उल्लू सीधा करते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि यहाँ सब कुछ आदान-प्रदान के आधार पर ही चल और बढ़ रहा है। नियति का अतिक्रमण करके किसी का सुख चैन से रह सकना संभव नहीं। अकेलेपन की प्रवृत्ति, सरसता और प्रसन्नता के समस्त स्रोत सुखा देती है। हर दृष्टि से हर क्षेत्र में संकीर्णता हानिकारक ही सिद्ध होती है। इसलिये मिल-जुलकर रहना सिखाने वाली पारिवारिकता को ही श्रेय, सौभाग्य और समझदारी के साथ जोड़ा गया है।

❐ ❐

पारिवारिकता से जुड़ा असाधारण दायित्व

परिवार और कुटुंब दोनों समान अर्थबोधक प्रतीत होते हैं, पर वस्तुतः है उनके बीच असाधारण अंतर। वंश परिकर से जुड़ने वालों का समूह कुटुंब कहा जाता है, यह विवाह-प्रजनन की परिणति है। जिसके साथ वे सभी प्रवृत्तियाँ जुड़ती हैं जो वंशवृद्धि के अतिरिक्त वंश विकास की आवश्यक नीति-नियमों के साथ जुड़ी हुई होती हैं। उनकी उपेक्षा होने पर उस परिकर में अव्यवस्था फैल जाती है और जो हैं उनका निर्वाह ही नहीं जीवन भी बाधित हो जाता है।

परिवार की संरचना में यह आवश्यक नहीं कि वह सुनियोजित ढंग से सुसंस्कृत बनाया जाए अथवा जहाँ ऐसा व्यवस्था क्रम चल रहा है; वहाँ जाकर सम्मिलित हुआ जाए। परिवार सुयोग्य माली द्वारा काटा-छाँटा, रोपा और बढ़ाया गया उद्यान है, कुटुंबों को जंगली झाड़ियों का झुरमुट ही कहा जा सकता है। जो जगह घेरते हैं वे अपने परिकर में साँप-बिच्छुओं को आश्रय देते हैं, उनके समीप जाने-गुजरने वाला भी काँटे चुभने, कपड़े फटने, दिशा भूलने जैसे जंजालों में फँसता है, वे स्वयं तो अनुपयोगी होने के कारण तिरस्कार के भाजन बनते ही हैं।

जिनमें नवागंतुकों का समुचित स्वागत-सत्कार करने, सुविधा देने की क्षमता हो, वे उसे नाप-तौल लें और निमंत्रण भेजने की उतावली न करके तब तक के लिए रुकें जब तक कि बरात ठहराने के लिए उपयुक्त जनवासे की, सत्कार सामग्री की व्यवस्था न बन जाए। विवाह करने की उतावली क्यों की जाए ? उसमें भिन्न मनःस्थिति और परिस्थिति में पत्नी विचित्र महत्त्वाकांक्षाओं के सपने सँजाये रहने वाली एक भावुक और अनुभवहीन युवती के उत्साह को, मानस को, स्वभाव को, क्रिया-कलाप को एक नई दिशा देनी पड़ती है। धर्मपत्नी की भूमिका निभा सकना पति का दर्प भरे मानस की

इच्छा पूर्ति वाली बात मनवाने की अपेक्षा कहीं अधिक कठिन है। इसे सरकस के कलाकार सधाने जैसे अनेक जोड़-तोड़ों से भरापूरा कौशल समझना चाहिए, इसके लिए सर्वप्रथम पति का अपना समग्र व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि स्वयं साँचा बन सके और साथ में चिपकने वाले को ठीक अपने जैसा स्वरूप दे सके। इससे कम तैयारी में कोई उपयुक्त सहधर्मिणी पा नहीं सकता, ऐसी प्रतिमाएँ गढ़ी-गढ़ाई बाजार में नहीं मिलतीं, उन्हें अपने हाथों मूर्तिकार की तरह गढ़ना और चित्रकार की तरह भावभरी तस्वीर बनाने में अपनी कलाकारिता की छाप छोड़नी पड़ती है। सुगृहणियाँ आदर्शों की दिशा में चलने और चलाने वाली गृहणियाँ अपवाद रूप से पितृगृह से ढली और किसी सौभाग्यशाली को वरदान की तरह मिली होंगी अन्यथा इस संदर्भ में सफल मनोरथ व्यक्ति को यह निर्माण कार्य स्वयं करना पड़ता है। इसके लिए चेतावनी या धमकी देते रहने भर से खाई और भी चौड़ी होती है। किसी को उत्कृष्टता के ढाँचे में ढालने के लिए सर्वप्रथम सृजेता को ही उच्च स्थिति तक पहुँचना चाहिए। अनगढ़ों को सुगढ़ बनाना भी एक असाधारण कला है—उसके साथ सघन आत्मीयता, प्रसन्नमुद्रा, क्षमाशीलता और अटूट धैर्य की आवश्यकता होती है। जो इस योग्य अपने को ढाल सकें वे पत्नी-पति उपयुक्तता के ढाँचे में ढलने का साहस करे अन्यथा अयोग्यता-असमर्थता की स्थिति में अविवाहित रहना ही अच्छा है। ठीक यही बात वयस्क युवती के लिए भी लागू होती है, उसे अनगढ़ स्तर के पति को भी सुसंस्कृत बनाने के लिए आवश्यक चिंतन और कौशल पितृगृह में सँजो लेना चाहिए। अच्छे उदाहरण देखने को न सही सुनने को तो मिल ही जाते हैं, उनका बारीकी से पर्यवेक्षण करने पर यह पता चलता है कि इसे देखने में छोटे किंतु व्यवहार में अत्यंत भारी भरकम कार्य को संपन्न करने के लिए कितना अधिक संतुलित कौशल चाहिए ? नारी पक्ष का वजन और भी अधिक भारी है, क्योंकि उसे न केवल पति को बालक की तरह सँभालना पड़ता है वरन् एक अपने ढंग के ढाँचे में ढले हुए परिवार को भी समेट-बटोर कर इस स्थिति तक लाना पड़ता है जिसमें शालीनता

की परम्पराएँ फूल-फल सकें। बात इतने तक ही समाप्त नहीं हो जाती नवजात शिशुओं का प्रजनन तो उतना कष्टसाध्य नहीं है। उन्हीं आदतों को सुसंस्कारिता के साथ अविच्छिन्न ,रूप से जोड़ सकना और भी अधिक जटिल है। जो समझते नहीं, जिन पर आदेश काम नहीं करते उन्हें उपयुक्त स्तर का बनाना कितना असाधारण कार्य होता है—इसे भुक्तभोगी ही जानते हैं। यह सब कुछ न आने पर नव विवाहितों को ऐसे चक्रव्यूह में फँसना पड़ता है, जिससे बाहर निकल सकने का कोई मार्ग नहीं दीखता। पति-परिवार, संतान सभी बेकाबू हो रहे हैं तो उनको अपने ढाँचे में ढालना, मंडली को मानवी गरिमा से तालमेल बिठा लेने योग्य बनाना काफी बोझिल कार्य है। इसके लिए जिन नर-नारियों में आवश्यक धैर्य और कौशल है, जिन्होंने अपने को सृजनकर्त्ता कलाकार के स्तर तक पहुँचा लिया हो उन्हीं का विवाह-बंधन में बँधना सार्थक है अन्यथा उपयुक्त स्थिति न बन पड़ने पर अविवाहित बने रहना ही अधिक श्रेयस्कर है। आयु बढ़ते ही विवाह अनिवार्य रूप में करना ही पड़ेगा—इस मान्यता में दूरदर्शी विवेकशीलता का समावेश कहीं दीखता नहीं।

विवाह के पूर्व भी हर युवक-युवती के सामने एक परिवार विद्यमान रहता है। लड़की के लिए उसमें माता-पिता, भाई-बहिन भी सेवा-श्रम करते रहने के लिए उपलब्ध रहते हैं। लड़कों के भी अभिभावक, भाई-भतीजे, चाचा-भाई एवं उनकी पत्नियाँ, वृद्धाएँ आदि कितने ही सदस्य रहते हैं—उस कुटुंब का अनेक स्तर का अनेक प्रकार का सहयोग-अनुदान ऋण के रूप में अपने ऊपर चढ़ा होता है, फिर उससे उऋण होने को भी प्राथमिकता दी जाए तो उसे कृतज्ञता की कर्त्तव्यपालन की अभिव्यक्ति ही कहा जाएगा।

जिनका निजी परिवार बहुत छोटा है, उनका सदस्य संख्या बढ़ाने का, चहल-पहल देखने को मन करता है। उनके लिए एक मात्र उपाय यही है कि किन्हीं असमर्थ परिवारों के बालकों को अपने संरक्षण में ले लें, उनके भरण-पोषण की, शिक्षा-चिकित्सा की व्यवस्था बनाएँ । स्वावलंबी होने तक उनकी भरपूर सहायता करें, इसके उपरांत उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने और स्वतंत्र बुद्धि से

जीवनयापन करने के लिए खुला छोड़ दें। उनमें से कोई स्वेच्छापूर्वक साथ रहने के लिए इच्छुक हों तो उसे वैसा अवसर भी दिया जा सकता है। इन दूसरों के पेड़-पौधों को सींचने-बढ़ाने में एक परिष्कृत बुद्धि वाले माली की तरह लगे रहा जा सकता है।

अनर्थ का पहाड़ वहाँ से टूटना आरंभ होता है जब अपने प्यार-दुलार या अनुचित धन-वैभव को किसी के लिए उत्तराधिकार में हस्तांतरित करने की संकीर्णता जोर मारती है। संतानरहित या मात्र लड़कियों वाले लोग किसी को गोद रखने की बात सोचते हैं, यह क्षुद्रता का घिनौना उदाहरण है। अपने प्यार-दुलार को क्या असंख्यों पिछड़े हुए लोगों को नहीं दिया जा सकता ? क्या संचित संपदा को किसी एक के लिए छोड़ मरना कृपणता की चरम सीमा नहीं है ? क्या उस संचय को देश, धर्म, समाज, संस्कृति की असंख्य आवश्यकताओं की पूर्ति में नहीं लगाया जा सकता ? वृन्दावन के राजा महेंद्रप्रताप अपना उत्तराधिकार प्रेम महाविद्यालय को हस्तांरित कर गये थे, ऐसा अन्यान्य असंख्य उदारचेता भी कर चुके हैं। गोद रखने की प्रथा में संकीर्ण कृपणता झाँकती है। असमर्थ बालकों को स्वावलंबी बनने तक संरक्षण देना दूसरी बात है। निस्वार्थ सेवा, समुचित कृतज्ञता और प्रतिदान की ललक लेकर वापिस लौटती है, उसी में आनंद मिलता है। मात्र अपनी पत्नी के पेट से जन्मे बच्चे के लिए ही प्यार और वैभव सुरक्षित रखा, जाए, इसमें महानता की झलक-झाँकी कहीं भी नहीं दीख पड़ती। गोद लेने, पराए बच्चे को उत्तराधिकारी घोषित करने, उसी से बुढ़ापे में सेवा-सहायता की अपेक्षा करने, वंश चलने जैसी कामना करना अवास्तविकता और अनुदारता के जाल-जंजाल में ही भटक मरना है।

विवाह के साथ ही व्यक्ति असंख्य दायित्वों से लदता है, उनके न निभ पाने पर असाधारण रूप में त्रास सहता है। बच्चे जनने लगना अपने ऊपर इतनी जिम्मेदारी को लादना है, जो समूचे परिवार के ऊपर ऐसा भार बनती है जो खींचे नहीं खिंच पाती। भावी परिणामों और दायित्वों को भली प्रकार समझने और उनके लिए समुन्नत क्षमता अर्जित कर लेने पर ही नया कुटुंब बढ़ाने का साहस

हजार बार सोच-समझ कर करना चाहिए। इन दिनों वस्तुस्थिति को समझते हुए फूँक-फूँक कर ही कदम बढ़ाना चाहिए। जो आँख बंद कर विवाहोत्सव और संतानजन्म का हर्षोत्सव देखने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए आतुर हैं, वे कुटुंब में और नये सदस्य तो बढ़ा सकते हैं, पर परिवार सृजन के उस श्रेय का लाभ नहीं ले सकते जो सृजेता, संरक्षक सदस्य को सब प्रकार कृतकृत्य करता है।

सुनियोजित परिवार एक ऐसा माध्यम है जिसमें संचालकों को आत्म परिष्कार के लिए बाधित होना पड़ता है। अपने को उदाहरण बनाए बिना किसी से भी आदर्शवादी अनुकरण की आशा नहीं करनी चाहिए। जिस परिवार के संचालक अपने को अनुकरणीय स्तर तक न पहुँचा चुके होंगे, उनके लिए यह संभव न होगा कि अन्यान्य परिजनों को सन्मार्ग पर चलाकर उत्कृष्टता का लक्ष्य प्राप्त करा सकें। दुर्गुणी, दुर्बुद्धिग्रस्त और अनाचारी लोग अपने सदस्यों और अनुचरों को भी वही विरासत में छोड़ मरते हैं, उसी छूत की संक्रामकता से उन्हें भी पतन-पराभव की आधि-व्याधियों में जकड़ते हैं। बाहर वाले अपरिचितों को तो मौखिक आदेश-परामर्श भी दिए जा सकते हैं, पर निकटवर्ती लोग तो वस्तुस्थिति समझते और नंगा स्वरूप देखते हैं। ऐसी दशा में उनके लिए वही वास्तविक परामर्श होता है, जो अपने चिंतन, चरित्र और व्यवहार के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

शालीनता पुष्पवाटिका की तरह फलती है। अपनी सुगंध और शोभा से दर्शकों का मन मोहती और वातावरण को सुगंध से भरती है, उसकी सर्वत्र सराहना होती है। इसके विपरीत हेय व्यक्ति के कण-कण में घुसी हुई निकृष्टता सर्वप्रथम अपने को अप्रमाणिक, अनगढ़ एवं घृणा-तिरस्कार का भाजन बनाती है। उसके उपरांत उसके साथी-सहयोगी उस संस्कार छूत से प्रभावी होते हैं। कचरा जब सड़ता है तो विषाणुओं से सारे प्रभाव क्षेत्र में सड़न-असहनीय दुर्गंध भरती है। परिवार कैसा बन पड़ा ? इसके संबंध में यही कहा जा सकता है कि जैसा कुछ उसे बनाया गया वैसा बन गया। कुंती और मदालसा ने अपने स्तर का प्रजनन और परिवार बनाकर खड़ा

कर दिया। परिवार बनाने में कोई बुद्धिमत्ता नहीं, यह कार्य तो क्षुद्र स्तर के प्राणी कीड़े-मकोड़े भी करते रहते हैं। मनुष्य की गरिमा यह है कि वह परिवार के साथ रहने की प्रवृत्ति-प्रेरणा को सार्थक बनाने, सीखने-सिखाने का, ढलने-ढालने का क्रम जारी रखें।

सेवा का दृष्टिकोण तो विश्वव्यापक स्तर का रखा जा सकता है, पर उसे व्यवहार में चरितार्थ कर पाना अपने निकटवर्ती क्षेत्र में ही बन पड़ता है। परिवार एक ऐसी संस्था है जो बालक के जन्मने से पूर्व ही उसे सहयोग प्रदान करने के लिए तैयार रहती है। अपनी बहुमुखी उदारता से उसे बना-बढाकर लाभान्वित करती है, स्नेह देने और सुधारने-सिखाने में उसकी अपने ढंग की भूमिका रहती है। बड़े होने पर उस बालक का कर्त्तव्य हो जाता है कि जो अनुदान दिया गया है उसका प्रतिदान देने की तैयारी करें और जब तक वह शृंखला पूरी तरह न बन पड़े तब तक नये उत्तरदायित्व अपने-अपने ऊपर ओढ़ने का दुस्साहस न करे। यह उऋणता मात्र भोजन वस्त्र जैसी सुविधाएँ जुटा देने भर से पूरी नहीं हो जाती वरन् यह अपेक्षा रखती है कि अधिक सुसंस्कृत बनकर अपने परिवार का सदस्य उस भावनात्मक विभूतियों से उन्हें लाभान्वित करें, जो सच्चे अर्थों में किसी को प्रामाणिक प्रतिभावान् और सुसंस्कृत बनाती हैं। परिवार की खदान भले कोयले जैसी रही हो, पर उसमें से प्राणवान् प्रतिभाओं को तो हीरा बनकर ही निकलना चाहिए। कीचड़ में कमल खिल सकते हैं, सीपियों में मोती बन सकते हैं तो कोई कारण नहीं कि सामान्यतया अनगढ परिस्थितियों वाले परिवार में भी उच्चस्तरीय प्रतिभाएँ न जग सकें—इस सुयोग का बन पड़ना ही पारिवारिकता की सच्ची उपलब्धि है।

❐ ❐

पारिवारिक जीवन सत्प्रवृत्तियों का साधना क्षेत्र

सुविधा, प्रसन्नता, निश्चिंतता, सुसंस्कारिता जैसी सुखद संभावनाओं का तारतम्य संयुक्त परिवार के साथ जुड़ता है। इसलिए हर किसी को उसी सार्वभौम सुव्यवस्था के साथ अपने को जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। साथ ही यह भी देखना चाहिए कि इसके साथ सुव्यवस्था का समावेश रहे। आचार संहिता का अनुशासन चले, कर्त्तव्य और अधिकार का ऐसा समन्वय हो कि किसी सदस्य को मनमानी करने का अवसर न मिले और किसी को अनुचित दबाव के कारण झुकना न पड़े। संयुक्त परिवारों में एक सहकारी समिति की भूमिका निभाई जा सकती है। अपने कर्त्तव्यों और दूसरे के अधिकारों का समुचित ध्यान रखने का अवसर मिलता रह सकता है।

मनुष्य के समुन्नत समाज में परिवार एक ऐसी संस्था है, जिसके सहारे उस परिकर का नहीं, हर संबंधित लोगों-सदस्यों में से हरेक की सामयिक सुविधा एवं भविष्य की प्रगति संभावनाओं की पृष्ठभूमि बनती है। बुहारी अनेक सींकों से ही बनती है, रस्सा तिनकों के मिलन का ही प्रतिफल है। कपड़ा पतले धागों के एक-दूसरे के साथ गुँथ जाने पर बनता है। सम्मिलित शक्ति का संयुक्त परिवार में उद्‌भव होता है, उससे न केवल सदस्यों का वरन् समाज के हर घटक को किसी न किसी रूप में लाभ मिलता है; एक अच्छी परंपरा का निर्वाह होता रहता है। अनेक स्तर के लोगों के साथ सहयोग और सद्‌भाव का तारतम्य कैसे मिलाये रखा जाए—इसका उपक्रम बनता है।

एकाकी रहकर व्यक्ति अपनी मनमर्जी चलाने की सुविधा तो किसी प्रकार किसी सीमा तक प्राप्त कर लेता है, पर इसका अत्यधिक मूल्य चुकाना पड़ता है। दूसरों का सहयोग न करने से अपनी क्षमता का लाभ उठाने का लाभ तो मिल जाता है, पर साथ

ही यह एक बड़ी हानि अपना सिलसिला चलाने लगती है कि अन्यों का सहयोग उस एकाकी प्रवृत्ति वाले को मिलना बंद हो जाए। परिवार के अधिकांश कार्य ऐसे हैं जो मिल-जुलकर ही ठीक प्रकार बन पड़ते हैं। निवास-निर्वाह के लिए घर तो हर किसी को चाहिए, उसमें कितनी ही प्रवृत्तियाँ निरंतर चलती रहती हैं। भोजन बनाना, सफाई, कपड़े धोना, अतिथि सत्कार, टूट-फूट की मरम्मत, चौकीदारी, हारी-बीमारी में सहायता और परिचर्या आदि यह लाभ संयुक्त परिवार में मिल सकते हैं। एकाकी प्रवृत्ति का मनुष्य बाजार से रोटी खरीदकर तो खा सकता है, यौनाचार भी पैसे के बल पर कर सकता है किंतु गृह-व्यवस्था के साथ जुड़ी हुई सुविधाएँ प्राप्त करने से वंचित ही बना रहता है। घर छोड़कर जाने पर ताला तोड़कर चोर माल निकाल ले जाएँ—इसका खतरा सदा बना ही रहता है, फिर असुरक्षा की स्थिति भी तो बनी रहती है। अँधियारे की तरह एकाकी पक्ष डरावना रहता है, उसमें नीरसता और अनिश्चितता भी जुड़ पड़ती है, ऐसा जीवन एक प्रकार से भारभूत ही साबित होता है, भले ही किसी को कितनी ही सुविधा-साधन उपलब्ध क्यों न हों ?

संयुक्त परिवार मानवी प्रगति की आधारशिला-सहकारिता का एक ऐसा आधार है जिसका निर्वाह करने में ही भलाई है। अच्छी परंपराओं का निर्वाह उसी के सहारे बन पड़ता है। विवाह की परिपाटी को अब निरस्त नहीं किया जा सकता है, इसके बन जाने पर बच्चे भी होते ही हैं। अभिभावक जब वयोवृद्ध हो जाते हैं तो उनकी सेवा-सुश्रूषा भी कृतज्ञता के नाते कर्त्तव्य ही बन जाती है, इतना परिवार तो हर किसी के साथ गृहस्थ में प्रवेश करते ही बन जाता है। जहाँ कृषि कार्य, पशु पालन, घरेलू, गृह उद्योगों का आर्थिक आधार है। वहाँ तो उसे घर के सभी सदस्य मिल-जुलकर ही चला पाते हैं। दफ्तर में कमाने और सराय में रहने से जिनका काम चल जाता हो उनकी बात दूसरी है। इसी प्रकार वे लोग भी अपवाद हो सकते हैं, जिन्हें संत परंपरा अपनाकर परिव्राजक की तरह लोकशिक्षण के लिए निरंतर परिभ्रमण करना पड़ता है। किसी विशेष धुन के धनी भी ऐसे हो सकते हैं जिन्हें आजीविका की ओर से निश्चितता है और अपने किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए निरंतर उसी में तन्मय रहना चाहते हैं। जिन्हें परिवार व्यवस्था में रुचि एवं अनुभव में से

कुछ भी नहीं है—अविकसित, अपंग स्तर के लोगों को तो किसी परिवार के आश्रित होकर ही रहना पड़ता है। वैसे वे लगते भले ही एकाकी हों, पर सर्वथा उस स्थिति में रहकर कोई जीवित तक नहीं रह सकता है। उनका पोषण परिवार, समाज या सरकार करे, यह एक अलग प्रश्न है।

देखा ऐसा भी गया है कि विवाह होते ही कई लोग अभिभावकों या संयुक्त परिवार के सदस्यों की अपेक्षा अपनी नई कमाई का लाभ अकेले ही उठाना चाहते हैं। अधिक से अधिक शौक-मौज में पत्नी को सम्मिलित रखना चाहते हैं, ऐसों को यह ध्यान रखना चाहिए कि संतान होने पर उनके लिए खर्च तो बहुत करना पड़ेगा, कष्ट भी सहना पड़ेगा और देखभाल की जिम्मेदारियों में भी बँधना पड़ेगा, पर यह स्थिति भी देर तक नहीं रह सकती। समयानुसार आज के नवविकसित को भी वृद्ध होना पड़ेगा। तब वयस्क हुई संतान भी उसी का अनुकरण करेगी जो अपने जनक-जननी को करते देखा है, वे भी अपनी रुचि को लेकर अलग हो जायेंगे। वृद्धता की लाचारी आने पर तब उन्हें भी उसी प्रकार निराश्रित होना पड़ेगा जैसा कि उन्होंने अपने समय में स्वयं किया था। यह प्रथा चल पड़ने पर सभी अभिभावकों को वृद्धावस्था, अशक्तता और रुग्णता आदि की स्थिति में वयस्क बच्चों से भी कुछ आशा न रखने का मन बनाना पड़ेगा। यह हो नहीं सकता है कि कोई अपने अभिभावकों की तो उपेक्षा करे, पर स्वयं यह आशा रखे कि उसकी संतान पितृऋण चुकाने के लिए अपनी तत्परता प्रदर्शित करेगी। दोहरी परिपाटी चल नहीं सकती, लेने और देने के बाँट अलग-अलग प्रकार के नहीं हो सकते।

अपनी मान्यताओं, भावनाओं और प्रवृत्तियों को शालीनता के ढाँचे में ढालने का अभ्यास परिवार में रहकर ही हो सकता है। आयु से या बुद्धि से बालक स्तर के व्यक्ति हर समूह में कुछ न कुछ बने ही रहते हैं, इनके साथ व्यवहार करने में वही रीति-नीति अपनाई जाती है, जिसके सहारे बालकों के साथ सद् व्यवहार करते बन पड़ता है। बच्चे पग-पग पर भूल करते हैं, इनका ज्ञान-अनुभव स्वल्प होता है। अनुशासन पालने और शिष्टाचार बरतने के लायक भी उनका मानस नहीं होता, फिर भी उनके साथ क्षमा-करुणा का भाव आत्मीयता के सहारे बनाए रहना पड़ता है। शिशु पालन करने की जिम्मेदारी जिन पर भी आती है, वे इसी रीति-नीति को अपनाए रहते

हैं। बच्चों की अविकसित स्थिति पर यह खीजते रहा जाए, उन्हें उपेक्षा या प्रताड़ना देते रहा जाए तो बात बनेगी नहीं बल्कि बिगड़ेगी। बालकों के साथ किए जाने वाले व्यवहार को उनके साथ भी अपनाया जाना चाहिए जो आयु से तो बड़े हो गए हैं, पर शालीनता के क्षेत्र में अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं। समाधान इसी प्रकार बन पड़ता है, सद्भाव इसी आधार पर बन सकता है। जैसे को तैसा बताने की नीति बच्चों के साथ नहीं अपनाई जाती, उन्हें हर भूल पर तिरस्कृत या प्रताड़ित भी नहीं किया जाता, फिर उन लोगों को ही क्यों आक्रोश का भाजन बनाया जाए जो आयु, शिक्षा या उपार्जन के क्षेत्र में तो बड़े हो चले किंतु मानवी सद्व्यवहार की परंपरा सीखने-अपनाने का उन्हें अवसर ही नहीं मिला।

बच्चों के साथ व्यवहार करते समय एक आँख प्यार की एक आँख सुधार की रखनी पड़ती है। इसी आधार पर उनमें उत्साह बना रहता है और सुधार का उपक्रम चलता रहता है। यदि मात्र प्यार ही करते रहा जाए, उनकी हर भली-बुरी इच्छा को पूरा करते रहने का ही प्रयास किया जाए तो निश्चित रूप से बच्चे बिगड़ेंगे और ऐसे आग्रह करने लगेंगे जिन्हें पूरा करने के लिए न्याय, नीति एवं औचित्य को तिलांजलि ही देनी पड़ेगी। स्त्रियाँ बहुधा कीमती वस्त्राभूषणों के लिए हठ करती देखी गयी हैं, उनमें से कइयों को फिजूलखर्ची की आदत होती है। ठाट-बाट के प्रदर्शन में घर के हर सदस्य का मन होता है, इसके लिए आवश्यक कार्यों में लगने वाली पूँजी को उड़ा डालने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता। कई बार तो यह आग्रह इतना दबाव डालता है कि उसके लिए अनाचार करने या ऋण लेने के लिए बाधित होना पड़े। बच्चों का सही रीति से पालन करने वाले मोहवश ऐसे आग्रहों को मान्यता नहीं देते। प्यार में कमी की जाने का लाँछन सहते हुए भी समझदार अभिभावक मात्र वही करते हैं जो उन्हें करना चाहिए। प्यार के नाम पर अनुचित दबाव डालने वाला वस्तुतः व्यामोह ही होता है और उससे अनेक स्तर का अनहित ही होता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हर सद्गृहस्थ को एक आँख प्यार की एक सुधार की रखनी पड़ती है। सघन आत्मीयता रखते हुए भी शालीनता का निर्वाह ऐसे ही दृढ़ उपायों से बन पड़ता है। बात घर-परिवार तक सीमित नहीं है। लोक व्यवहार में भी इस नीति का कड़ाई के साथ परिपालन

किया जाना चाहिए। अतिवाद के दोनों सिरों को पकड़ने की अपेक्षा मध्यमार्ग अपनाने का ही प्रयत्न करना चाहिए, न पक्षपात भरा हुआ दुलार किया जाए और न परायेपन के साथ जुड़ने वाले उपेक्षा भाव से प्रेरित होकर अनीति पर उतरा जाए। यह दोनों अवांछनीयताएँ राग-द्वेष के नाम से जानी जाती हैं, उन्हें अभ्यास में उतारने के लिए बालकों के साथ किया जाने वाला उचित व्यवहार अभ्यास का अंग बनता है। नीर-क्षीर विवेक की दूरदर्शिता अपनाने के लिए सक्षम करता है, यह अवसर परिवार के बीच रहकर छोटों से निपटते रहने के माध्यम से ही परिपक्व किए जाते हैं। दृष्टिकोण इसी आधार पर परिमार्जित होता है।

दांपत्य जीवन में सघन आत्मीयता ही उसे सफल बनाती है, जहाँ भी स्वार्थ संघर्ष चलेगा, कर्त्तव्य की उपेक्षा और अधिकार के लिए दबाव डालने का प्रयास होगा वहीं दांपत्य जीवन में विकृतियाँ भर जाएँगी। संतान देकर सहयोग पाया जाता है। अपने लिए कठोर और साथी के लिए उदार रहकर ही पति-पत्नी के बीच प्रगाढ़ घनिष्ठता निभती है। यह व्यवहार उन सबके साथ ही किया जाना चाहिए, जिन्हें अपना समझा जाता है, जिनके साथ काम करने या सहचरत्व निभाने की अपेक्षा की जाती है। साथी के सद्गुण दीखने लगते हैं और उसे सुधारने, बढ़ाने, सुविधा देने की रीति-नीति अपनानी होती है। यदि सभी को अपना मानने का दृष्टिकोण हो तो उसी आत्मीयता के साथ सुसंबद्ध उदारता का परिचय देना होगा। आत्मवत् सर्वभूतेषु की उत्कृष्टता का अभ्यास यदि पत्नी-पत्नी स्तर के मैत्रीभाव से सीखा-समझा और अपनाया जा सके तो उसे गृहस्थ जीवन की पाठशाला में प्राप्त की गई एक बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है।

कृतज्ञता भावना क्षेत्र की एक उच्चस्तरीय विभूति है, उसका अस्तित्व जहाँ भी होगा, वहाँ यही प्रयास चल रहा होगा कि जिन्होंने अपने साथ जो उपकार किए हैं, उन्हें ब्याज समेत वापिस करके उऋण हुआ जाए। अभिभावकों के साथ वयस्क संतान को इसी श्रद्धा-सद्भावना का परिचय देना पड़ता है। समाज के अनेकानेक पक्ष एवं घटक अपनी प्रगति में निरंतर सहायक रहे हैं, ऐसी दशा में यदि

समाज ऋण से उऋण होने के लिए सार्वजनिक सेवा को भी निजी स्वार्थ साधना से कम नहीं वरन् उससे अधिक ही महत्त्व देना चाहिए।

आर्थिक स्वेच्छाचार परिवार के बीच निभता नहीं, अनाचार की उच्छृंखलता भी सद्गृहस्थ अपना नहीं सकते। उसमें रहते हुए प्रगति पथ पर नीति-मर्यादाओं का ध्यान रखना पड़ता है, एक सदस्य अनाचार पर उतारू हो तो समूचे परिवार की व्यवस्था और प्रगति में खतरे में पड़ जाते हैं—यह अनुभव परिवार में रहकर किया जा सकता है। एक-दूसरे के साथ किस प्रकार सघन सहयोग रखा जा सकता है ? उसका व्यवहारिक अभ्यास उस परिवार के हर सदस्य को सीखना-समझना और अपनाना पड़ता है। यहीं हैं वे उपलब्धियाँ जिन्हें परिवार के बीच रहकर अभ्यास में उतारा और उनका प्रयोग सार्वजनिक जीवन में करते हुए अपनी और दूसरों की सुख-शांति को अक्षुण्ण रखा जा सकता है।

❐ ❐

परिवारों में सहकारिता का समावेश

बिखराव उसी सीमा तक सहन होता है, जिससे एकता में कोई व्यवधान न पड़े। ईश्वर एक से अनेक हुआ तो पर उसने विराट् ब्रह्म के रूप में विश्व ब्रह्मांड की एकता भी बनाए रखी। शरीर में कितने अंग-अवयव विभिन्न प्रकार के विनिर्मित तो हुए, पर उन सबका सहयोग एक समग्र शरीर की संरचना कर सका। व्यक्ति एक इकाई तो है, पर उसकी स्थिरता, संपन्नता, प्रसन्नता और प्रगति सहजीवन में ही है। इस दिशा में पहला कदम परिवार परिकर में प्रवेश करते हुए ही उठाना पड़ता है। वह एक प्रयोगशाला-पाठशाला है जिसमें सामाजिक शालीनता के लिए आवश्यक मर्यादाओं और वर्जनाओं का नित्य-नियमित रूप से अभ्यास करना पड़ता है। एकाकी प्रकृति का व्यक्ति अपने स्वभाव, अभ्यास को इस योग्य नहीं बना सकता कि सर्वजनीन सद्भाव, सहयोग अर्जित कर सकने में समर्थ एवं सफल हो सके।

परिवार संस्था को जीवंत स्थिति में बनाए रहना इसलिए आवश्यक है कि उसी आधार पर अगले दिनों समाज व्यवस्था एवं विश्व व्यवस्था चलनी है। समय की गति अत्यधिक द्रुतगामी हो गई। बढ़ी हुई जनसंख्या और उसकी बढ़ती हुई आवश्यकता ने समय के अनुरूप प्रचलनों में क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए विवश किया है। अब धरती पर इतनी जगह नहीं रह गई है कि हर किसी के लिए अलग-अलग ठीक तरह रहने की व्यवस्था जुट सके। स्थान की कमी ने मिल-जुलकर रहने की उपयोगिता समझने के लिए विचारशील वर्ग को उद्बोधन दिया है कि वे सहजीवन की पारिवारिकता की आवश्यकता स्वयं समझें और अपने प्रभाव क्षेत्र में अन्यान्यों को परिचित कराने के लिए विशेष प्रयत्न करें। मनुष्य पारिवारिकता की, सहकारिता की वृत्ति अपनाकर ही अधिकाधिक सभ्य बनता चला

आया है। आदान-प्रदान की नीति अपनाने से ही उसकी समर्थता बढ़ी है। मध्यकालीन अंधकार युग में विलगाव और बिखराव का प्रतिफल देख लिया। उन कडुवे फलों को बार-बार चखने की आवश्यकता नहीं है। विपन्नता की विषम बेला में नए सिरे उपाय से खोजना पड़ेगा। अनौचित्य में परिवर्तन लाने के लिए कदम उठाना पड़ेगा। अन्यथा सामयिक विषमता का सामना कर सकना संभव न होगा।

अत्यधिक छोटे परिवार बसाने का प्रयोजन पाश्चात्य देशों ने इस शताब्दी में भली प्रकार पूरा कर लिया है। उसके हानि-लाभों का भी अनुमान लगा लिया गया है। कमाऊ होते ही पति-पत्नी अभिभावकों को छोड़कर अलग स्वतंत्र घर बसाकर रहते हैं। परिवार की कोई जिम्मेदारी रहती नहीं। भोजन बाजार से खरीदकर खा लिया जाता है। मौज-मस्ती ही एकमात्र काम रह जाता है। आजीविका उपार्जन के उपरांत सारा समय उसी माहौल में बीतता है। इसमें व्यवधान डालने के लिए बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं, तो उनसे पीछा छूटते न देखकर किसी प्रकार पाल तो लिया जाता है, पर जैसे ही थोड़े समर्थ होते हैं, वैसे ही उन्हें शिशुपालन गृहों में डाल दिया जाता है, इसी स्थिति में वे जीते, पढ़ते, बड़े होते और काम धंधे में लग जाते हैं। माता-पिता का स्नेह सान्निध्य उन्होंने जाना ही नहीं। ऐसी दशा में यह आशा कैसे की जा सकती है कि वे अपने जन्मदाताओं के प्रति कृतज्ञता, आत्मीयता जैसे सद्भाव सँजोएँ उनके कोई स्वजन संबंधी होंगे इसे जानने की तो उन्हें इच्छा तक नहीं होती। ऐसी दशा में वे समर्थ होने पर इस पूर्वज समुदाय की कोई सेवा-सहायता करेंगे, इसकी आशा कैसे की जा सकती है ? वृद्धावस्था आने पर उस स्वेच्छाचार के अभ्यस्त लोगों को संतान से कोई सहानुभूति या सहायता न मिले तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है ? जराजीर्ण स्थिति में मौत के दिन किसी प्रकार बूढ़ा खाने के अनाथालयों में ही व्यतीत करने पड़ते हैं। वहीं वे अपने को एकाकी अनुभव करते हुए दम तोड़ते हैं।

स्वच्छंदता, विलासिता के उन्माद में दांपत्य जीवन ही कहाँ टिक पाता है। नवीनता की ललक रसास्वादन की सहज प्रवृत्ति होती

है। तितलियाँ और भौंरे एक फूल पर टिके रहने पर विश्वास नहीं करते, वे एक से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे, चौथे, सौंवे पर मँड़राने पर प्रसन्नता पाते हैं। पाश्चात्य देशों में दंपत्ति जीवन भर इसी प्रयोग को करते हुए अनेकानेक साथी बदलते रहते हैं। यही दशा वृद्धावस्था में भी रहती है। जो जिसके साथ अधिक सुविधा देखता है वह उसके समीप चला जाता है। जिसके साथ कठिनाई का सामना करने, विकास करने में सुविधा गँवाने को बाधित होना पड़े, उसके साथ कौन रहे ? जराजीर्ण स्थिति में कोई युग्म पति-पत्नी का उत्तरदायित्व निभा सके, ऐसा कभी-कभी कहीं-कहीं दीख पड़ता है अन्यथा अधिक सुविधा, अधिक स्वच्छंदता बढ़ते रहने की अभ्यस्त प्रवृत्ति अंतकाल तक चलती रहती है। इस प्रचलन का कटु अनुभव पाश्चात्य जगत को तो भली प्रकार हो चुका है। अविकसित देश भी अपनी पुरानी परंपराओं को छोड़कर तथाकथित "संपन्न सभ्यो" का अनुसरण करने का मानस बना रहे हैं। इसे रसास्वादन की दृष्टि से ही उपयोगी समझा जा सकता है। प्रतिफल की दृष्टि से उस स्थिति में उत्पन्न होने वाली असंख्य हानियों को समझा जाने लगा है। जो जन्मदाताओं और संतान तक को एक-दूसरे के साथ जुड़ा हुआ न रख सकें, उसमें दांपत्य जीवन तूफानी चक्रवातों को पार करते टिक सकेगा। इसकी आशा कैसे की जाए ? इस विपन्नता का जीवन क्रम की स्थिरता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आत्मीयता, श्रद्धा, सद्भावना, कृतज्ञता की उपेक्षा करके मात्र भौतिक सुविधाओं के सहारे कोई कितने दिन प्रसन्न रह सकता है ? इसे आधुनिकता के रंग में रंगी हुई तथाकथित सभ्य समुदाय की मनःस्थिति और परिस्थिति का निकटता से पर्यवेक्षण करने पर सहज ही जाना जा सकता है।

बढ़ती हुई आधुनिकता छूत की बीमारी की तरह अछूते क्षेत्रों को भी अपनी चपेट में ले लें तो कोई आश्चर्य नहीं। फलतः सर्वत्र एकाकीपन, स्वेच्छाचारिता के माहौल में कोई किसी के प्रति निष्ठावान न रह सकेगा। किसी को किसी की विश्वसनीयता पर, प्रामाणिकता पर भरोसा न रहेगा और अवसरवाद ही सब कुछ बन जाएगा। परिवार परंपरा के बिखराव के यह सहज स्वाभाविक परिणाम हैं।

जिन्होंने इसका भली प्रकार अनुभव कर लिया उनकी स्थिति समझते हुए अपने लिए उपयोगी चिरस्थायी सुख-शांति का मार्ग चुना जाए, इसी में भलाई है।

सहकारिता को हर क्षेत्र में कार्यान्वित करते हुए ही प्रगति और प्रसन्नता का उपलब्ध हो सकना संभव है। यही है मानवी प्रगति के साथ जुड़े हुए तथ्यों का सार संक्षेप। इसी महान परम्परा को वंश विकास के संदर्भ में जोड़ने पर 'संयुक्त परिवार' की परिपाटी बनती है। इसमें प्रत्यक्ष लाभ भी है और परोक्ष लाभ भी। समय, श्रम, धन और दौड़-धूप की बचत करने में परिवार व्यवस्था के अंतर्गत सहजता बन पड़ती है।

संसार भर के विचारशीलों में सहजीवन, सहअस्तित्व एवं सहयोग संवर्धन की उपयोगिता समझी जा रही है। उसका दैनिक जीवन में उपयोग संयुक्त परिवार के रूप में ही संभव दीखता है। इस प्रणाली को आज नहीं तो कल अपनाने के लिए लोकमानस को सहमत होना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त विषमताओं से घिरे वातावरण में और कोई स्थिर साधन है नहीं।

सहजीवन की आचार संहिता न बन पड़ने और आपाधापी को अधिक स्थान मिल जाने से ही वर्तमान परिवार असुविधा भरे हो जाते हैं और जिन्हें अधिक स्वतंत्रता प्राप्त करने की इच्छा है, वे उस तनाव भरे वातावरण से अलग होने की बात सोचने लगते हैं। भूल यही हो जाती है कि सहजीवन के सिद्धांतों को व्यवहार में जोड़े रहने वाली आचार संहिता का निर्माण नहीं हो सका है। यदि सुव्यवस्था की रीति-नीति समझी, बनाई, चलाई जा सके तो संयुक्त परिवार में सुविधा ही सुविधा है; बचत ही बचत है। प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। उस विधा के अंतर्गत प्रगति की जितनी संभावना है, वह एकाकी अनिश्चित और विशृंखलित परिपाटी अपनाने में हो ही नहीं सकती।

कुछ समय से इस संदर्भ में 'कम्यून' स्तर के प्रयोग जहाँ-तहाँ अपनाए जा रहे हैं। उनकी सुखद परिणति भी प्रत्यक्ष देखी जा रही है। 'कम्यून' योजना में कुछ परिवार मिल-जुलकर एक व्यवस्था तंत्र

बनाते हैं। साथ-साथ रहते और आवश्यक व्यवस्थाओं को मिल-जुलकर एक तंत्र के अंतर्गत सुनियोजित करते हैं। भोजन पकाना, कपड़े धोना, सफाई उपक्रम, शिशुपालन, उनका शिक्षा संवर्धन, मनोविनोद, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकने वाला सहकारी स्टोर आदि का उपक्रम आदि बन पड़े तो थोड़े समय और खर्च में वे कार्य होते रह सकते हैं, जिनके लिए छोटे परिवारों को ढेरों खर्च, समय और पैसा खर्च करना पड़ता है। इसी उलझन में उलझे रहने वाले किसी महत्त्वपूर्ण कार्य के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। फलस्वरूप उन्हें घरेलू जंजाल में, उलझनों में उलझे रहने के अतिरिक्त और कुछ सोचते, करते बन ही नहीं पड़ता। घर की चौकीदारी, रसोईदारी, सफाई करने भर में महिला वर्ग का प्रायः सारा समय चला जाता है। आधी जनसंख्या इसी व्यवस्था में खप जाती है। यदि सहकारी परिवारों की व्यवस्था बन सके तो इस निरर्थक उलझन में समय गँवाने वाले लोग अधिक महत्त्वपूर्ण कार्यों में संलग्न होकर अपनी और समाज की प्रगति में असाधारण सहायता कर सकते हैं। उनका काम थोड़े-से कर्मचारियों द्वारा संपन्न होता रह सकता है। इस नये उद्योग में लगने वाले लोगों को इस सहकारी व्यवस्था के अंतर्गत नया काम भी मिल सकता है। इस प्रकार अनेकों की रोजी-रोटी का हल इन पारिवारिक सहकारी तंत्र में लग जाने पर सहज ही हो सकता है। विधवाएँ, परित्यक्ता स्तर की महिलाएँ बड़ी संख्या में इसी प्रयोजन के लिए खप सकती हैं।

कम योग्यता वालों को बेकार न रहना पड़े और अधिक क्षमता संपन्न अधिक महत्त्व के काम में लगें तो वैयक्तिक और सामूहिक प्रगति का नया मार्ग खुल सकता है। सुयोग्य महिलाएँ मात्र चूल्हा फूँकने और झाड़ूँ लगाने में ही अपनी उच्चस्तरीय योग्यता समाप्त कर दें तो इसमें हर किसी के लिए हर प्रकार घाटा ही घाटा है। इसकी अपेक्षा यह कहीं अधिक उत्तम है कि घरेलू व्यवस्था में उन्हें खपाया जाए जो उपयुक्त काम न मिलने के कारण आजीविका कमा सकने में असमर्थ रहते हैं। संयुक्त परिवार वंश आधार पर बनते हैं, पर सामूहिक परिवार तो समान स्वभाव के लोग एक साथ मिलकर

चला सकते हैं। जब सभी क्षेत्रों में सहकारिता को अधिक उत्साह के साथ अपनाया जा रहा है तो कोई कारण नहीं कि परिवार व्यवस्था के लिए वही रीति-नीति न अपनाई जा सके। इस विधा को अपनाने में सबसे बड़ा भावनात्मक लाभ यह है कि मिल-जुलकर रहने, एक जैसी रीति-नीति अपनाने का अभ्यास बढ़ता है। सबसे अलग होकर रहने और एकाकी जीवन बिताने में स्वच्छंदता भले ही अधिक मिल जाए, पर उसमें उन सभी लाभों से वंचित रहना पड़ता है, जो मिल-जुलकर रहने, एक-दूसरे के साथ संगति बिठाने और तालमेल अपनाने के आधार पर उपलब्ध होते हैं।

बहुमुखी प्रगति के मार्ग पर चलती हुई मनुष्य जाति को अपनी शांति, सुरक्षा और प्रगति के लिए हर क्षेत्र में सहकारिता को बढ़ावा देना होगा। व्यवसाय भी इसी आधार पर चलेंगे। व्यवस्था और प्रगति के सभी तंत्र ऐसे बनेंगे, जिनमें सामूहिकता और सहकारिता की ही प्रधानता रहे। अब इसी विधा को अपनाना अगले दिनों अनिवार्य हो जाएगा तो फिर परिवार के क्षेत्र में ही अलगाव और बिखंराव की अवांछनीयता को क्यों सहन किया जा सकेगा। संयुक्त परिवार के निभने में यदि अड़चन दिखाई देती हो तो सहकारी परिवारों का गठन नये आधार अपनाकर नई आचार संहिता के आधार पर किया जा सकता है।

❐ ❐

परिवार का सुनियोजित गठन : उत्कर्ष

परिवार गठन का लाभ और श्रेय तभी है जब उस परिकर में व्यावहारिक सुव्यवस्था और भावनात्मक सुसंस्कारिता की निरंतर अभिवृद्धि होती चले। इन दिनों सब कुछ धन के आधार पर नापा और आँका जाता है, जिसके पास जितनी अधिक समृद्धि है वह उतना ही लोगों की आँखों में चमत्कार बनकर दीखता है, साथ ही सराहा भी जाता है। इसी कारण लोग अपने को अमीर दिखाने को सुविधा-साधनों से लदा हुआ दीखने का प्रयत्न करते हैं, इस हेतु अधिक धन की आवश्यकता होती है। लोग उसी को सही-गलत तरीके से कमाने में लगे रहते हैं और उससे निजी प्रयोजन तथा परिवार के सुविधा-साधन बढ़ाने में लगे रहते हैं। समर्थों को अपनी सफलता इसी में दीख पड़ती है, पर वस्तुस्थिति ऐसी है नहीं। किसी परिवार की वास्तविक प्रतिष्ठा उसकी शालीनता और सुसंस्कारिता पर ही निर्भर है। यदि उसमें कमी पड़े तो समझना चाहिए कि बढ़ा हुआ वैभव और ठाट-बाट उसका उपभोग करने वालों के लिए पतन-पराभव का कारण बनेगा।

अमीरी प्रदर्शित करने वाला ठाठ-बाट क्रमशः अधिक बड़ी शान-शौकत माँगने लगता है, अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है। ईमानदारी और परिश्रम से तो उस सीमा तक ही कमाया जा सकता है, जिसमें औसत नागरिक स्तर का निर्वाह हो सके। निजी वैभव जमाने के लिए तो बढ़-चढ़कर हाथ-पैर मारने पड़ते हैं और उसके लिए उचित-अनुचित का, न्याय-अन्याय का विचार छोड़ना पड़ता है। वैभव के पीछे प्रायः उपार्जन में नीतिमत्ता नाम मात्र को भी जुड़ी नहीं रह पाती। कोई अधिक कमाने भी लगे तो उस बचत को सत्प्रवृत्ति के संवर्धन में लगाने की उत्कंठा भी नहीं रहती। ऐसी मनःस्थिति में विलास-वैभव के प्रदर्शन के लिए गुंजाइश ही नहीं रहती, यदि परिवार को ठाट-बाट के आधार पर बड़ा बनाने की सोच रही हो तो उसमें मानवी गरिमा के अनुकूल शालीनता का निर्वाह न बन पड़ेगा और दिशा प्रवाह नैतिक दृष्टि

से पतन-पराभव की दिशा में ही यह रहा होगा। यह स्थिति जहाँ भी बन रही होगी वहाँ दुःखदायी परिणाम ही उत्पन्न होंगे, परिवार परिकर में भी इस दुष्प्रवृत्ति को प्रश्रय नहीं मिलना चाहिए।

परिवार क्षेत्र में पनपने वाली दुष्प्रवृत्तियाँ आरंभ में छोटे क्षेत्र की छोटी घटनाएँ प्रतीत हो सकती हैं, पर वे पोषण प्राप्त करती रहने पर क्रमशः बढ़ती और फूलती-फलती रहती हैं। परिपक्व होने पर वे घर के हर सदस्य के स्वभाव का एक अंग बन जाती हैं और वह असामाजिक स्तर का बन जाता है, भले ही वह पद या वैभव कितने ही ऊँचे स्तर का प्राप्त क्यों न कर ले ? मनुष्य का सर्वतोमुखी विकास उसके स्वभाव में सुनियोजित की हुई सत्प्रवृत्तियों के आधार पर ही संभव होता है। इस तथ्य को समझ लेने के उपरांत एक यह मार्ग सूझ पड़ता है कि गृह-संचालकों का प्रमुख प्रयास इस केंद्र पर केंद्रित हो कि उस छोटी-सी परिधि में सत्प्रवृत्तियों को अधिकाधिक प्रश्रय मिले। सभ्यता और शिष्टता, सज्जनता से परिवार के हर सदस्य को अभ्यस्त बनाया जाए। सत्प्रवृत्तियाँ अनेकों हैं, पर व्यावहारिक जीवन में पंचशीलों को ही प्रतिष्ठा प्राप्त है। श्रमशीलता, मितव्ययता, शिष्टता, सुव्यवस्था और सहकारिता—घर के क्रिया-कलापों में परिवार के सदस्यों में इन पंचशीलों का समावेश प्रत्यक्ष दीख पड़ना चाहिए। हर सदस्य को हर क्रिया-कलाप में इन सद्गुणों की प्रत्यक्ष झलक मिलनी भी चाहिए।

भावना क्षेत्र के भी चार धर्म कर्त्तव्य हैं—समझदारी, ईमानदारी, बहादुरी, जिम्मेदारी। इन चारों को आदर्शवादिता के साथ समन्वित किया जाता है, पंचशील और चार सत्य मिलाकर नौ होते हैं, इनको नवरत्नों की उपमा दी जा सकती है। सौरमंडल नौ ग्रहों का समुच्चय है। गायत्री मंत्र के नौ शब्दों में, यज्ञोपवीत की नौ लड़ों में इन्हीं आदर्शवादी अवधारणाओं का समावेश है। सत्प्रवृत्तियों के मणि-मुक्तकों से विनिर्मित इस नौ लाख मूल्य वाले हार के समतुल्य वैभव को उपलब्ध कराने का प्रयत्न करना चाहिए, यह सब कहते-सुनते रहने से ही नहीं बन पड़ता। अन्य साथी उन सत्प्रवृत्तियों को अपनाने लगें, इसके लिए यह आवश्यक है कि परिवार के वरिष्ठ सूत्र-संचालक अपने निजी जीवन में इन्हें इस प्रकार समाविष्ट करें कि वे दूसरों को भी प्रत्यक्ष चरितार्थ होती हुई दीख

पड़ें। इतना बन पड़े तो समझना चाहिए कि सुसंस्कारिता प्रशिक्षण का आधा पथ पूरा हुआ, जो आधा और शेष बच जाता है, उसे एक आँख दुलार की, एक आँख सुधार की रखकर करें। साथियों को औचित्य अपनाने के लिए सहमत किया जाना चाहिए, सभी कलाकार उपलब्ध उपकरणों और साधनों का सही प्रयोग करके सृजन की बहुमूल्य कलाकृति बनाते हैं। यह निर्माण और सृजन कार्य परिवार परिकर में चलते रहना चाहिए, इस संदर्भ में आवश्यक अनुशासन बरते जाने की प्रथा-परंपरा हर परिवार में चलनी चाहिए और उसमें सहयोग देने के लिए सभी सदस्यों को मानस बनाने और सहयोग देने के लिए तत्पर किया जाना चाहिए। सहकारी संस्था के रूप में किसी परिवार को इसी आधार पर संमुन्नत बनाया जा सकता है और उसके सदस्यों में से प्रत्येक को इसी आधार पर नररत्न बनने का सुयोग्य-सौभाग्य प्राप्त हो सकता है।

व्यक्ति और समाज की भलाई इसी में है कि व्यवहार में सत्प्रवृत्तियों का अधिकाधिक समावेश हो और अवांछनीयता के उन्मूलन का प्रयास निरंतर चलता रहे। यह दोनों कार्य परिवार क्षेत्र में आरंभ करते हुए सभी साथियों की सेवा-साधना की जा सकती है। परिवार निर्माण के साथ व्यक्ति को भी अपने व्यक्तित्व को अधिकाधिक सुसंस्कृत बनाने का अवसर मिलता है, समाज की सेवा भी इसी से आरंभ की जाए तो ठीक है। अपने परिवार के सदस्य यदि सद्गुणी बन सके तो उनके माध्यम से चलने वाली अगली वंश बेल भी उसी ढाँचे में ढलेगी। विकसित व्यक्तित्व का अपना प्रभाव क्षेत्र होता है। दुष्टता इसी प्रकार आतंक का वातावरण बनाती है, उसी प्रकार सज्जनता से भी एक संपर्क क्षेत्र प्रभावित होता है और उसकी सराहनीय चर्चा जहाँ तक पहुँचती है वैसी ही अनुकरण भावना पनपती जाती है। सुगंध और दुर्गंध दोनों ही अपने-अपने स्तर पर वातावरण को प्रभावित करती हैं। रावण-दुर्योधन आदि का समूचा परिवार एवं संपर्क क्षेत्र उसी प्रकार के अनाचार का पक्षधर बन गया था। सज्जनता में हरिश्चंद्र जनक आदि संपन्नों और कृषि परिकर के लोकसेवियों वाले परिवार इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्णिम अक्षरों से अंकित होते रहे हैं।

अवांछनीयता का उन्मूलन भी लोकसेवा का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष है। समाज के प्रचलन से व्यक्ति और परिवार प्रभावित होते हैं, पर साथ ही यह भी सच है कि मनस्वी प्रतिभाएँ किसी सत्प्रयोजन को

स्वयं अपनाकर अपने प्रभाव क्षेत्र में सुधारवादी हलचलें उत्पन्न कर सकती हैं। कुप्रचलनों का विरोध करने के लिए यदि कहीं अन्यत्र मोर्चा लगाने की परिस्थितियाँ न हों तो उस कार्य को अपने प्रभाव क्षेत्र परिवार से तो आरंभ किया ही जा सकता है। सेनापति का अनुशासन बटालियन के सैनिक मानते ही हैं, वैसी ही परिस्थितियाँ अपने अधिकार क्षेत्र में क्यों नहीं बनाई जा सकतीं ? असहयोग विरोध और संघर्ष की प्रक्रिया बड़े न सही छोटे रूप में तो छोटे स्तर पर अपने घर में भी चल सकती हैं।

प्रयोग-प्रशिक्षण, बीजारोपण-अभिवर्धन एवं सुधार परिष्कार के लिए परिवार से बढ़कर और कोई प्रयोगशाला नहीं हो सकती। शर्त एक ही है कि उसकी व्यवस्था सुनियोजित ढंग से की जाए। घुणाक्षर न्याय से, घुनकीड़ा बिना किसी योजना के किधर भी बढ़ता चलता है ? संयोगवश उस क्रिया में किसी भाषा के कोई अक्षर भी बन जाते हैं, यह आकस्मिक संयोग भर है। योजनाबद्ध रूप सें किया गया प्रयत्न नहीं। किसी प्रकार अधिकांश लोग गृहस्थी बसा लेते हैं, किसी परिवार के अंग बन जाते हैं, पर उसके पीछे कोई सुनियोजित योजना न होने से उसका स्वरूप और भविष्य किसी भी प्रकार का कुछ बन जाता है। सदस्यों में से कुछ भले निकलते हैं कुछ बुरे, कुछ कर्त्तव्य पालते हैं, कुछ बने को बिगाड़ते हैं। यह बिना सोची, बिना तैयारी की, बिना लक्ष्य की क्रिया-प्रतिक्रिया है। विचारशीलों को परिवार संस्था के साथ ऐसी उपेक्षा, ऐसी दिल्लगी नहीं करनी चाहिए।

उद्यान लगाने वाले माली को पौधों की सिंचाई, निराई, गुड़ाई बराबर करनी होती है। खर-पतवार उखाड़ने, रखवाली में चौकस रहने की जागरूकता अपनानी पड़ती है। ठीक यही बात परिवार के संबंध में भी है, उसके हर सदस्य की आदतों, अभिरुचि, योग्यता को ध्यान में रखते हुए उसे आगे बढ़ाने का सरंजाम जुटाना होता है। जो अवांछनीय है उसे सुधारने, बदलने, उखाड़ने के लिए दूरदर्शिता भरे साहस का परिचय देना होता है, प्रगति का यही मार्ग है।

अवांछनीयताओं को समाज से हटाने के लिए बड़े प्रयास और साहस की आवश्यकता होती है, पर उस प्रयोजन को परिवार क्षेत्र में

आसानी से संपन्न किया जा सकता है। आलस्य-प्रमाद में समय गँवाना, दुर्व्यसनों का शिकार होना, कुरीतियों को अपनाए रहना जैसी अवांछनीयताएँ समाज में प्रचलित पाई जाती हैं, उन्हें घटाने और हटाने का मन होता है, पर वह अपनी इच्छा शक्ति के अभाव में बन नहीं पड़ता। दूसरों से कहा भर जा सकता है, मानना, न मानना उनकी मर्जी पर निर्भर रहता है किंतु यह कठिनाई उतनी अधिक मात्रा में परिवार क्षेत्र में नहीं होती। घर के बड़े-वरिष्ठों का व्यक्तिगत प्रभाव और दबाव न्यूनाधिक मात्रा में सभी सदस्यों पर होता है, वे समझाने या धमकाने से मानने भी लगते हैं। बताए हुए मार्ग पर चलने में बहुत आनाकानी नहीं करते। नशेबाजी, फैशनबाजी, आवारागर्दी, गंदगी, हरामखोरी जैसी बुरी आदतों से बचाने के लिए हर सदस्य को उसकी मनःस्थिति के अनुरूप समझाने-बुझाने का प्रयत्न करना चाहिए। समाज की प्रचलित दुष्प्रवृत्तियाँ अपने परिवार को प्रभावित न करें, इसके लिए सभी में दूरदर्शी विवेकशीलता जगाने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि वे अंध परंपरा न अपनाकर जो उचित है उसी को स्वीकार करने का मन बनाएँ। बाल विवाह, कन्या विक्रय, वर विक्रय, मृतकभोज, भिक्षा व्यवसाय, पर्दा प्रथा, जातिगत ऊँच-नीच जैसी प्रथाएँ प्रचलित पाई जाती हैं। इनका अंधानुकरण करने के लिए अपनों में से किसी का मानस नहीं बनने देना चाहिए। परिवार की सदस्य संख्या बढ़ने पर भी बिखराव उत्पन्न होता है और दरिद्रता-विग्रह जैसे अनेक कारण घुसपैठ करते हैं। औसत नागरिक स्तर से अधिक ऊँचा रहन-सहन बनाने, फिजूलखर्ची के लिए हाथ खुला रखने पर भी अनेकानेक बुराइयाँ उपजती हैं और शालीनता को डगमगा देने की स्थिति उत्पन्न करती हैं।

परिजनों को स्वावलंबी, सुसंस्कारी बनाना कर्त्तव्य समझा जाए। किसी को भी असभ्य, अनगढ़ और परावलंबी न रहने दिया जाए। कायरता, कृपणता भी अभिशाप है, किसी को भी अनावश्यक रूप से दब्बू-संकोची नहीं रहने देना चाहिए। शिष्टता और नम्रता को सुस्थिर रखते हुए इतना साहस हर किसी में होना चाहिए कि अनौचित्य को

मुखर होकर कहा जा सके। नीति-निष्ठा बनाए रखने के लिए यह एक उपयुक्त आवश्यकता है।

हाथ में लिए काम को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर उसे समग्र तत्परता और तन्मयता के साथ करना, जिम्मेदारी निभाना आना चाहिए। कौन कितना कर्त्तव्य परायण है ? यह उसके क्रिया-कलाप के साथ जुड़े हुए कौशल को देखकर ही समझा जा सकता है, सम्मान और संतोष प्राप्त करने का यही तरीका है। ऊँचे उठाना, आगे बढ़ाना भी इन्हीं आधारों को अपनाने से संभव होता है। इन तथ्यों को उन सभी को तो समझना-हृदयंगम कराया ही जाना चाहिए, जो अपनों की परिधि में आते हैं। आदर्शों की परंपरा भी चलती है और वह वातावरण में सद्भावना भरने का प्रयोजन पूरा करती है।

❑ ❑

शुभारंभ इस प्रकार हो

गृह लक्ष्मी का अर्थ होता है उदारचेता और सुव्यवस्था की अभ्यस्त सुसंस्कारी महिलाएँ वे रंग-रूप की दृष्टि से कैसी ही क्यों न हो। वस्तुतः उनके सहारे झोंपड़ी के आँगन में स्वर्ग उतरता और वे ही साधारण परिस्थितियों को आनंद-उल्लास से भर देती हैं।

ऐसी गृह लक्ष्मियाँ कहाँ से आएँ ? उन्हें कहाँ पाएँ ? इसे खोजने की आवश्यकता नहीं है। हर नारी में इसके बीजांकुर जन्मजात रूप से विद्यमान रहते हैं। आवश्यकता मात्र उन्हें खाद-पानी देने की होती है। नारी को भावुकता, कोमलता, सुंदरता और कलाकारिता के समन्वय से सृष्टा ने सृजा है। मात्र इन हीरकों को खराद पर उतारने का काम ही परिवार के लोगों को मिल-जुलकर करना होता है। इस कर्त्तव्य की उपेक्षा-अवहेलना होने पर वे छुई-मुई के पौधे की तरह कुम्हला भी जाती हैं और घुटन भरे वातावरण में व्यक्तित्व को अनपयुक्त भी बना लेती हैं। जिन घरों में नारी समुदाय की स्थिति गयी-गुजरी रहेगी, वहाँ

कितना ही वैभव अथवा वर्चस्व क्यों न हो, आंतरिक वातावरण ऐसा ही रहेगा जिसमें खिन्नता-विपन्नता किसी के हटाए नहीं सकेगी। जिस घर में गृहलक्ष्मी मुरझाई, कुम्हलाई, बाधित, पीड़ित और बँधी जकड़ी रहेगी, वहाँ उसकी प्रसुप्त प्रतिभा को जागृत होने का अवसर ही नहीं मिलेगा, उसके लिए मानवोचित जीवनयापन कर सकना तक न बन पड़ेगा।

हर किसी को विश्वास करना चाहिए जिसमें इक्कीसवीं सदी नारी वर्चस्व वाली कालावधि है। उस नवयुग को प्रकट, प्रत्यक्ष करने में नारी की बढ़ी-चढ़ी भूमिका होगी। नर में अहमन्यता और कठोरता अपनाकर जो उद्दण्डता विकसित की है उसका परिमार्जन नारी की संवेदना और सेवा-साधना वाली जन्मजात सत्प्रवृत्ति से ही संभव बन पड़ेगा। परिवारों को नर-रत्नों की कैसे बनाएँ ?

खदान उन्हीं की सहायता द्वारा किया जा सकेगा। देव-मानवों का अवतरण नई पीढ़ी में उन्हीं के द्वारा संभव होगा।

नर के कृत्यों वाले इतिहास में सृजन की तुलना में ध्वंश अधिक हुआ। स्नेह-सहयोग कम और उद्धत अनाचार का माहौल अधिक बनता रहा है। अब इस उल्टे प्रवाह को नारी की सन्निहित दिव्यता ही सीधा करेगी। इस सद्भावना के अनुरूप विचारशीलों का कर्त्तव्य हो जाता है कि नारी को अगले दिनों दुहरा उत्तरदायित्व सँभालने की क्षमता विकसित करने में समुचित सहयोग प्रदान करें।

नर को शिक्षित, समर्थ, स्वावलंबी बनाने के लिए अब तक जो प्रयत्न होते रहते हैं, उन्हीं को इस समतावादी युग में नारी के लिए भी उपलब्ध कराना होगा। अलग पिंजड़ों में कैद रहने के कारण उनकी संयुक्त शक्ति का संरक्षण एवं विकास न हो सका। अब उसे संभव बनाने के लिए न केवल घनघोर प्रयत्न करना पड़ेगा वरन् उस सामंतवादी दृष्टिकोण को भी उलटना पड़ेगा जिसमें नारी का स्थान दासी के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। इस समूचे परिवर्तन में भूतकाल की राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक क्रांतियों की तुलना में अधिक जीवट को सँजोए जाने की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही यह भी निश्चित है कि परिवर्तनकारी आन्दोलनों ने अब तक जितनी उपलब्धियाँ अर्जित की हैं, उसकी तुलना में नारी जागरण अभियान के माध्यम से कम नहीं वरन् अधिक ऊँचे स्तर की अधिक प्रभावोत्पादक

उपलब्धियाँ संभव होंगी। नारी जागरण अभियान को प्रभातकालीन अरुणोदय की तरह उभरता हुआ और मध्याह्न की प्रखरता अपनाने के लिए दौड़ता इन्हीं आँखों से देखा जा सकता है। सुनिश्चित भवितव्यता का साथ देने में ही समझदारी भी है और बहादुरी भी। इतने प्रचंड प्रवाह में जो रोड़ा बनेंगे, जो उपेक्षा बरतेंगे वे समय को न पहचान सकने का पश्चाताप ही करते रहेंगे।

विज्ञजनों में से प्रत्येक को इस महा अभियान का शुभारंभ अपने-अपने घरों से करना चाहिए। अशिक्षितों को शिक्षित, शिक्षितों को सुविज्ञ बनाने वाली शिक्षा पद्धति का कार्यान्वयन अपने घरों के छोटे दायरे से तो कोई कर सकता है। उनका बौद्धिक प्रशिक्षण ऐसा होना चाहिए जिससे मूढ़-मान्यताओं और कुरीतियों का उन्मूलन हो सके। नारी अपने कर्त्तव्य और अधिकार का परिवहन करने के लिए समर्थ एवं समुद्यत हो सके।

उन्हें स्वावलंबी बनने का अवसर दिया जाए। गृह उद्योगों के माध्यम से वे अपनी उपार्जन क्षमता और दक्षता की अभिवृद्धि कर सकें, साथ ही घर से बाहर निकलने की सुविधा पाकर पड़ौस-परिकर में एक छोटा संगठन खड़ा कर सकें। बड़े परिवर्तन संगठित प्रयासों से ही संभव हुए हैं। महिला मंडल इसी प्रयोजन के लिए गठित किया जा रहा है। पुरुषों को चाहिए कि वे अपने ढंग से अपने प्रभाव क्षेत्र की नारियों को प्रगति प्रयोजन के लिए संगठित करने का प्रयास करें। अपने घरों की प्रतिभाओं को इस कार्य के लिए घर से बाहर जाने और अपने वर्ग से संपर्क बढ़ाने के लिए सहयोगी की भूमिका निबाहने दें। संगठन को प्रारंभिक काम एक सौंपा गया है—साप्ताहिक सत्संग। इसमें धार्मिकता का पुट रहने से एकत्रीकरण में अड़चन नहीं आती जितना कोई अन्य आंदोलन खड़ा करने पर अपने ही परिवार का विरोध खड़ा होने के रूप में सामने आता है।

यह प्रारंभिक ढाल है। इससे कम में नारी प्रगति की योजनाएँ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकतीं। घर-परिवार तक सीमाबद्ध रहने पर वे प्रवृत्तियाँ व्यापक नहीं बन सकतीं, जिन्हें अगले ही दिनों आंदोलन का रूप धारण करना है। सुधार एवं सृजन से संबंधित अनेकानेक कार्यक्रमों को नये ढाँचें के रूप में खड़ा करना है।

जो शिक्षित महिलाएँ घरेलू काम-काज से थोड़ा अवकाश प्राप्त करती हैं, उनका कर्त्तव्य विशेष रूप में यह बनता है कि विचारशील नारियों से संपर्क साधने निकलें और उनका समीपवर्ती क्षेत्र वाला संगठन तैयार करें। साप्ताहिक सत्संगों का क्रम आरंभ कराएँ। साथ ही प्रौढ़ शिक्षा, कुटीर उद्योग, स्वास्थ्य रक्षा, सुधरी हुई पाक विद्या, शिशु पालन, परिवारों में प्रगतिशीलता का संस्थापन कुरीतियों का उन्मूलन आदि काम हाथ में लें। कदम-कदम बढ़ाते हुए पहुँचना वहाँ तक है जहाँ नारी को समग्र समता का लाभ मिल सके और वह अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करते हुए नव सृजन के क्षेत्र में महती भूमिका संपन्न कर सके।

प्रतियोगिताएँ-प्रतिस्पर्द्धाएँ प्रायः सभी क्षेत्रों में चलती रहती हैं। जो विजेताओं को लाभ, यश एवं गौरव प्रदान करती हैं। इन दिनों हर विचारशील को इस प्रयास के लिए कमर कसनी चाहिए कि वह अपने संपर्क के कार्यक्षेत्र में कितनी प्रतिभाएँ उतारने में समर्थ हो सका इस कर्त्तव्य को बढ़े-चढ़े सेनापतियों और लोकनायकों के महान् कर्त्तव्यों के समतुल्य ही माना जाएगा, भले ही वह बीजांकुर की तरह छोटा ही दृष्टिगोचर क्यों न हो।

नारी जागृति आंदोलन में एक संघर्षपरक मोर्चा भी है—दहेज विरोधी आंदोलन का। इसे गाँधी जी के नमक सत्याग्रह स्तर का श्रीगणेश माना जा सकता है, जिसके पीछे नर-नारी के बीच विद्यमान भयावह विषमता की जड़ पर कुठाराघात के समतुल्य समझा जा सकता है। धूमधाम वाली, दहेज-जेवर के भार से लदी हुई शादियाँ हमें दरिद्र और बेईमान बनाती हैं। इस कुप्रचलन के कारण नर और नारी के बीच छोटे-बड़े की, श्रेष्ठ और निकृष्ट की परम्पराएँ चली हैं। यदि इस कुप्रचलन का पूरी तरह अंत किया जा सके और विवाह मात्र एक घरेलू उत्सव की तरह बिना खर्च के संपन्न होने लगे तो समझना चाहिए कि नवयुग का शुभारंभ हुआ, उस अन्यान्य अनेक कुरीतियों की अवधारणाओं की इतिश्री संभव हुई माना जाना चाहिए।

❐ ❐

मुद्रक : युग निर्माण योजना प्रेस, मथुरा (उ. प्र.)